हिंसा और कानून
बाल यौन शोषण पर कानून

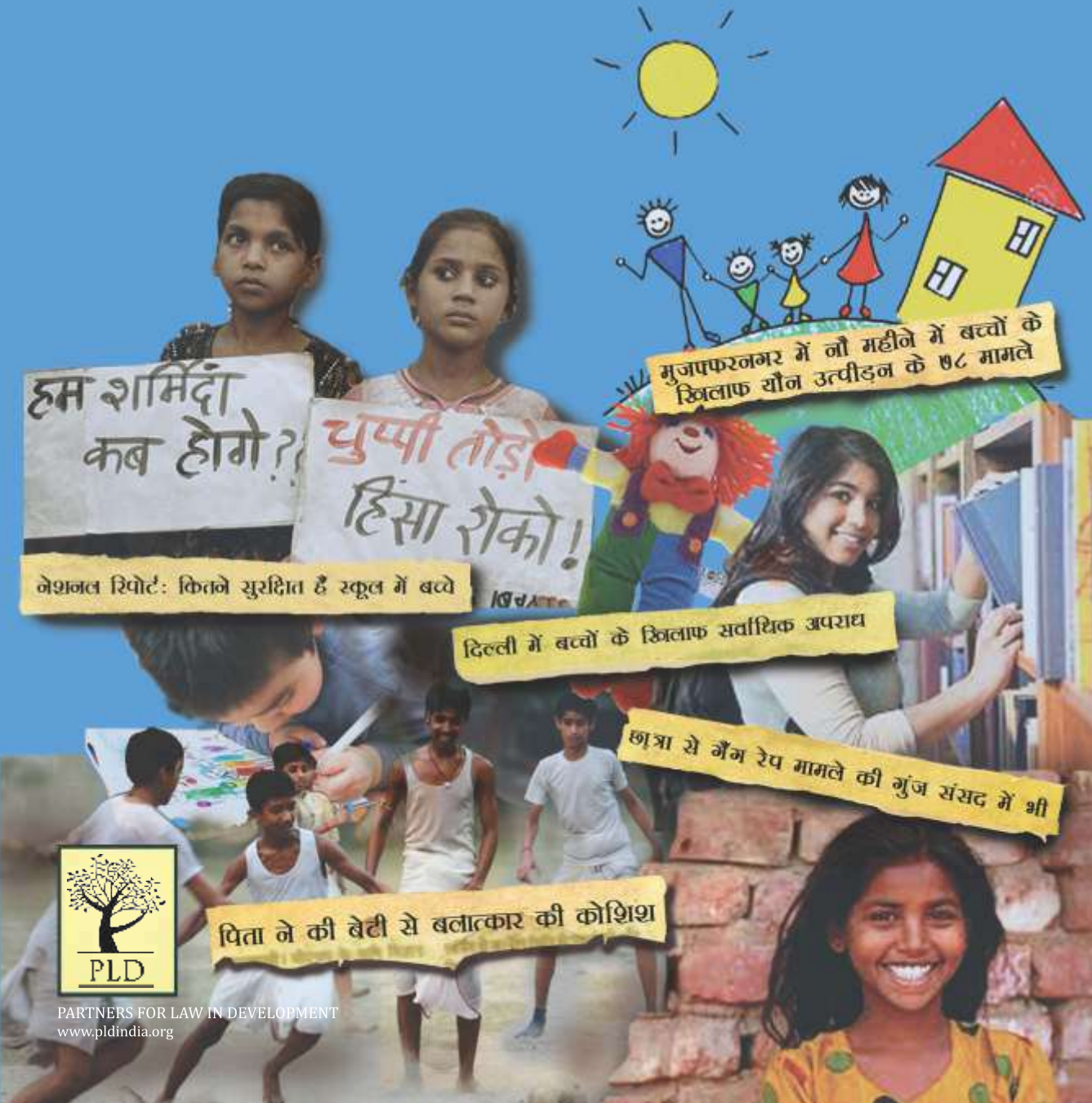

PLD

PARTNERS FOR LAW IN DEVELOPMENT
www.pldindia.org

© 2016

पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट (पी.एल.डी.)

पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट (पी.एल.डी.) सामाजिक न्याय, महिला अधिकार और कानून से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाला संगठन है। हम महिलाओं और समाज में हाशिये पर रह रहे अन्य समूहों की गरिमा और अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं और जमीनी स्तर पर कार्यरत संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए हम विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता विकास प्रशिक्षण चलाते हैं। इसके लिए हम कानून तथा इससे जुड़े विभिन्न विषयों पर सरल व सहज भाषा और शैली में लोकप्रिय संदर्भ सामग्री विकसित करते हैं। हमें अपने कार्यक्रम के दौरान जमीनी स्तर पर जो दिक्कतें सामने आती हैं, उन्हें हम शासन–प्रशासन के सामने रखते हैं और उनका टिकाऊ समाधान निकालने का काम करते हैं।

अवधारणा एवं संपादनः मधु मेहरा
लेखनः पूजा एवं दीक्षा गुलाटी
सहायता एवं सहयोगः किशोर तिर्की
आवरणः जावेद असलम
पृष्ठ सज्जा एवं मुद्रणः किशोर (दृष्टि प्रिंटर्स)

1st Edition, 2016
2nd Edition, 2018
Reprinted in 2024
I.S.B.N : 978-93-84599-06-5

पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट (पी.एल.डी.)
पी–9A, निचली मंज़िल, जंगपुरा एक्सटेंशन,
नई दिल्ली – 110014
pldindia.org
cedawsouthasia.org

पी.एल.डी. का आभार प्रकट करते हुए इस पुस्तिका का शैक्षणिक और गैर–व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।

हिंसा और कानून

बाल यौन शोषण पर कानून

PLD

यह किताब कानून का एक मात्र स्रोत नहीं है। हमारी कोशिश सिर्फ कानून को समझने में मदद करने की है। यह किताब कानूनी विशेषज्ञ की सलाह की जगह नहीं ले सकती।

क्रम

दो शब्द 5

1. परिचय 7

1.1 भारत में बाल यौन शोषण : संदर्भ 8

1.2 संवैधानिक तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक 9

1.3 पोक्सो कानून का इतिहास 11

2. कानून का उद्देश्य, मुख्य अवधारणाएं और शब्दावली 13

2.1. कानून का उद्देश्य 13

2.2. कानून की मुख्य अवधारणाएं 13

2.3 बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली 16

3. बाल यौन शोषण से जुड़े अपराध 18

3.1 बच्चों के यौन अंगों में प्रवेश से जुड़े अपराध 18

3.2 शारीरिक संपर्क से जुड़े अपराध 20

3.3 बिना शारीरिक संपर्क बनाए यौन उत्पीड़न 22

3.4 बच्चों को यौन कार्यों में शामिल करना, जैसे उसकी फोटो उतारना, बांटना और उससे लाभ उठाना 22

3.5 अपराध करने के लिए उकसाना या प्रयास करना 23

3.6 बच्चों के प्रति कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभाने से जुड़े अपराध 25

3.7 फौजदारी कानून से जुड़े अपराध 26

4. कानूनी ढांचे 27

4.1 विशेष किशोर पुलिस यूनिट 28

4.2 बाल कल्याण समिति 28
4.3 विशेष शिक्षाकर्मी, अनुवादक व दुभाषिया 29
4.4 विशेषज्ञ 30
4.5 सहायक व्यक्ति 30
4.6 बच्चों के विश्वासी व्यक्ति 31
4.7 विशेष सरकारी वकील 31
4.8 विशेष कोर्ट 31
4.9 राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग 32

5. शिकायत, मेडिकल, बयान, मुकदमा और राहत से जुड़े पीड़ित बच्चे के अधिकार 33
5.1 शिकायत के दौरान बच्चों के अधिकार 33
5.2 मेडिकल इलाज और जांच से जुड़े अधिकार 34
5.3 बयान देते समय और मुकदमें के दौरान बच्चों के अधिकार 35

6. कानून की चंद गंभीर खामियां : बदलाव की जरूरत 41
6.1 सोलह से अठारह साल की उम्र में सहमति से संबंध बनाने पर रोक 41
6.2 अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने का अनदेखा परिणाम 42
6.3 झूठी रिपोर्ट करने के परिणाम 42

अनुबंध 1 : लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 44
अनुबंध 2 : लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 74
अनुबंध 3 : किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 और पोक्सो अधिनियम 2012 के बीच संबंध और तालमेल 88

दो शब्द

वर्ष 2012 में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) पारित हुआ। अनेक प्रकार के बाल यौन शोषण को अपराध घोषित करते हुए यह कानून एक संवेदनशील प्रक्रियातंत्र भी निर्धारित करता है। मगर कानून कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, उसकी ताकत केवल उसके सही अमलीकरण पर निर्भर है। पोक्सो की ताकत भी उसके अमल से जुड़ी है।

पोक्सो के अमलीकरण के लिए कई तरह के कर्ता–धर्ता जिम्मेदार है। एक तरफ खास एजेंसियाँ, पुलिस तथा कोर्ट कचहरी है तो दूसरी तरफ औपचारिक व्यवस्था के बाहर रहकर बच्चों को मदद दे रहे हितधारक और समाजसेवक हैं। इन सबके पास कानून के ज्ञान का होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही ज्ञान व्यवस्था तंत्र को काम करने में सक्षम बनाता है। ऐसी ही क्षमता वृद्धि के लिए पी.एल.डी. ने पोक्सो पर यह संदर्भ समझ पुस्तिका वर्ष 2016 में बनाई थी। कानून से संबंधित सामग्री हिन्दी में न के बराबर होने के कारण हमने हिन्दी को अहमियत देते हुए यह पुस्तिका तैयार की है। नतीजा यह– कि एक ही साल में इस पुस्तिका को बड़ी प्रशंसा मिली और लगातर इसकी माँग बनी रही। यही वजह है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने अपनी साझेदारी में इस पुस्तिका का द्वितीय संस्करण 2018 में निकाला। द्वितीय संस्करण में हमने अनुबंध–3 (किशोर न्याय और पोक्सो के बीच संबंध और तालमेल) जोड़ा है, जिसमें रचना शर्मा ने सहयोग दिया है।

गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए पुस्तिका के स्थानीय भाषा में अनुवाद को पी.एल.डी. प्रोत्साहित करती है। इस हेतु किसी भी प्रकार की साझेदारी का हम स्वागत करते हैं।

मधु मेहरा
अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रमुख
(2024 पुनर्मुद्रण)

1

परिचय

वर्ष 2012 में बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षित रखने के लिए भारत ने एक खास कानून बनाया। इसे हम 'बालकों का यौन[1] अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012' (पोक्सो)[2] कहते हैं। यह कानून केवल बालकों के यौन शोषण के मामलों में लागू होता है। बालकों की श्रेणी में 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति आते हैं। इसलिए उनकी पहचान शिशु या बच्चे या किशोर या नाबालिग के तौर पर की जाती है।

यह कानून अन्य फौजदारी कानून व उनसे जुड़े सिद्धांतों से अलग है। यह बच्चों के संपूर्ण हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अपराध, उनके लिए सज़ा और संवेदनशील प्रक्रिया तंत्र निर्धारित करता है। हालांकि बच्चों के साथ यौन शोषण होने पर पोक्सो के प्रावधान लागू होंगे, लेकिन यौन शोषण के अलावा अन्य अपराध होने पर साधारण फौजदारी कानून के प्रावधान भी उनसे जुड़ जाएंगे। अगर अन्य कानून का कोई प्रावधान पोक्सो के प्रावधान से विपरीत या विरोधाभासी हो, तो केवल पोक्सो का प्रावधान ही लागू किया जाएगा (धारा 42(अ))।

[1] सरकारी गजट में इस कानून के हिंदी अनुवाद में 'लैंगिक' शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमने संदर्भ के मुताबिक और जेंडर व यौनिकता की समझ के आधार पर लैंगिक की जगह 'यौन' शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंगिक शब्द केवल व्यक्ति के यौन अंगों से जुड़ा है, मसलन पुरुष का लिंग या महिला की योनी या अन्य यौनिक शारीरिक जगह। इसलिए अगर कानून में लैंगिक शब्द का उपयोग किया जाए तो इसके अंतर्गत आने वाले अपराधों का दायरा बहुत छोटा हो जाता है और इस छोटे दायरे में केवल यौन अंगों पर प्रहार को ही अपराध माना जाएगा। हमारी समझ है कि 'यौन' शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें यौन अंगों पर होने वाले अपराध/हिंसा के अलावा अन्य व्यवहार भी आते हैं जो व्यक्ति की यौनिकता और अपने शरीर के ऊपर अपने अधिकार से जुड़े होते हैं, जैसे बिना मर्जी के छूना या छूने की कोशिश करना, अश्लील इशारे करना, अश्लील तस्वीरें दिखाना या उतारना। चूंकि इस कानून में यह सारे व्यवहार अपराध माने गए हैं, जो लैंगिक शब्द के दायरे में नहीं आते, इसलिए यौन शब्द का प्रयोग ज्यादा बेहतर और उचित है।

[2] इस पुस्तिका में 'यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012' के लिए 'पोक्सो' शब्द का उपयोग किया गया है जो इस कानून के अंग्रेजी नाम का संक्षिप्त रूप है।

1.1 भारत में बाल यौन शोषण : संदर्भ

हमारे समाज में बाल यौन शोषण के फैलाव का अंदाजा कुछ सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सर्वेक्षणों व रिर्पोटों से लगाया जा सकता है।

वर्ष 2006 की भारत सरकार की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि भारत में 53.22 प्रतिशत बच्चों के साथ एक या एक से ज्यादा तरह का यौन शोषण होता है। इनमें से 50 प्रतिशत मामलों में शोषण जानने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर बच्चा विश्वास करता है या जिसका बच्चे के ऊपर प्रभाव होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष (यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड) के एक अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि भारत में हर 3 बलात्कार में से 1 बलात्कार बच्चे का होता है और लगभग हर वर्ष 7200 से अधिक शिशुओं और बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। वर्ष 2013 में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ''ब्रेकिंग द साइलेन्स – चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन इंडिया''[3] ने यह खुलासा किया कि 2001 से 2011 के बीच भारत में बाल यौन शोषण के मामलों में 336 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। हमारे समाज में बच्चों के साथ यौन शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में बाल शोषण किसी विशेष उम्र, लिंग, समुदाय, जाति, वर्ग या धर्म में सीमित नहीं है। यह हर जगह समान रुप से फैला हुआ है।

हमने ऊपर भारत सरकार की जिस 2006 की रिपोर्ट का हवाला दिया है, उससे यह भी पता चलता है कि ज्यादातर बच्चे अपने साथ हुए शोषण के बारे में किसी को बताते नहीं हैं और इस वजह से यौन शोषण से जुड़े बहुत कम मामले सामने आ पाते हैं। इसकी कई वजहें हैं, हमारे परिवार या समाज में यौनिकता और यौन शोषण पर शायद ही कभी बात होती है और इन मुद्दों पर जागरुकता लगभग न के बराबर है। इस वजह बच्चों को न तो यौन शोषण की गंभीरता का अहसास होता है और न ही उनके पास अपनी बात कहने के लिए शब्द होते हैं। इज्जत पर आंच आने या परिवार टूटने के डर से भी ऐसी बातों को दबा दिया जाता है। अगर परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति द्वारा शोषण हो, तब पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लग जाता है। परिवार के

[3] इस रिपोर्ट को आप नीचे दिए गए लिंक के जरिए पढ़ सकते हैं :
http:/www.hrw.org/sites/default/files/reports/india0113ForUpload.pdf

बाहर के लोग भी किसी के घर में दखलंदाजी करना नहीं चाहते, यह मानते हुए कि यह उस परिवार का निजी मामला है।

शोषण का असर गहरा और गंभीर होता है। बच्चे निराशा, घबराहट, हिचकिचाहट और चिंता की गिरफ्त में आ जाते हैं। उनका आत्म–सम्मान, मनोबल और भरोसा टूट जाता है। ऐसे में पढ़ाई–लिखाई, खेल–कूद और अन्य किसी काम में मन भी नहीं लगता। बड़े होने पर भी इसका असर रहता है। इसलिए कानून जरूरी तो है, पर काफी नहीं। कानूनी मोर्चे के अलावा अलग–अलग स्तर पर भी पहल करने की सख्त जरूरत है।

1.2 संवैधानिक तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक

भारत सरकार पर बच्चों के समस्त हितों की रक्षा करने और उन्हें हर तरह के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व संविधान और संयुक्त राष्ट्रसंघ की संधियों से उभरता है।

1.2.1 भारतीय संविधान – भारत के संविधान के अंतर्गत बच्चों के मानव अधिकारों को अहमियत दी गई है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर डाली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) राज्य को बच्चों की हितरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है क्योंकि यह माना जाता है कि बच्चे छोटी उम्र और दूसरों पर निर्भरता की वजह से समाज में अन्य लोगों से कमजोर हैं। इसके अलावा संविधान में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। अनुच्छेद 39(ड) में राज्य के ऊपर यह जिम्मा डाला गया है कि बच्चों और युवाओं को हर तरह से शोषण से बचाया जाए। अनुच्छेद 39(च) में कहा गया है कि हर बच्चे के स्वतंत्र और समग्र विकास के लिए समान अवसर और सुविधाएं राज्य द्वारा मुहैय्या कराई जाएं।

1.2.2 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित बच्चों के अधिकार पर संविदा (सी.आर.सी.) – इस संविदा पर हस्ताक्षर कर भारत ने बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान देने की जिम्मेदारी स्वीकार की है। इस संविदा के सिद्धांत बच्चों के प्राकृतिक और संवैधानिक अधिकारों को परिभाषित करते हैं। इसके चार मुख्य सिद्धांत पोक्सो के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं।

(क) **बच्चों के संपूर्ण हित पर सबसे पहले ध्यान देना –** पारंपरिक तौर पर हमारे समाज में बच्चों को हक यानी अधिकार हासिल करने वाला नहीं समझा जाता। परिवार के छोटे सदस्य होने के नाते उन पर पिता के हक और नियंत्रण को मान्यता दी जाती है। अक्सर इस नियंत्रण के चलते परिवार के लोग खानदान की हैसियत और सामाजिक रीति–रिवाज के मुताबिक उनकी शिक्षा, देखरेख, दंड, शादी आदि को तय करते हैं। इस पारंपरिक सोच से हटकर यह संविदा बच्चों को अधिकारों का हकदार मानती है और परिवार, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थाओं और सरकार पर उनके हित को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपती है (अनुच्छेद 3)।

(ख) **बच्चों की उभरती क्षमताओं को मान्यता –** इस संविदा के तहत यह माना गया है कि बच्चों का विकास और उनके परिपक्व होने की क्षमता उनके उम्र, वातावरण, संस्कृति, परिस्थिति और जीवन के अनुभव पर निर्भर करती है। साथ ही बच्चों की जरूरतें और क्षमताएं उम्र और विकास से बदलती रहती हैं। एक 16 साल के बच्चे के विकास और परवरिश की जरूरतों को 3 साल के बच्चे की विकासमूलक जरूरतों के समान नहीं मान सकते। संविदा में 18 साल तक के व्यक्ति को नाबालिग बताया गया है और साथ ही यह माना गया है कि 0–18 तक की उम्र की क्षमताओं में क्रमशः परिवर्तन आता रहता है। इसलिए माता–पिता, अन्य परिवारजन तथा परिवारोत्तर संस्थाओं का यह दायित्व है कि वे बच्चों की उभरती क्षमताओं का सम्मान करें (अनुच्छेद 5)।

(ग) **बढ़ती उम्र और विकास के अनुसार बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार–** हर बढ़ते बच्चे को उसकी आयु और क्षमता के अनुसार सही और पूरी सूचना मिलनी चाहिए जिसके आधार पर वह अपने विचार बना पाए। इसी पर बच्चे की यौनिकता, शारीरिक और भावनात्मक विकास निर्भर है और इसी तरह बच्चे शैक्षिक, कामकाजी और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं (अनुच्छेद 12)।

(घ) **हिंसा और शोषण से सुरक्षा –** इस संविदा के अनुसार परिवार, समाज, राज्य और अन्य संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सभी तरह की शारीरिक और मानसिक हिंसा, दुर्व्यवहार अथवा शोषण (जिसमें यौन शोषण शामिल है) से बचाया जाए (अनुच्छेद 18)।

1.3 पोक्सो कानून का इतिहास

वर्ष 2012 से पहले बाल यौन शोषण पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था। इसलिए बच्चों से जुड़े मामलों की कार्यवाही भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलात्कार (धारा 375) और महिला की गरिमा का हनन (धारा 354) जैसी धाराओं के अंतर्गत की जाती थी। इसके अलावा प्रकृति के विरूद्ध अपराध (धारा 377)[4] (जो अनैतिक और विवादास्पद है) भी लागू किया जाता था। यह तीन अपराध बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण को नजर में रखते हुए नहीं बनाए गए थे। प्रायः अनुचित होने के बावजूद उनका सहारा लेना पड़ता था क्योंकि सिर्फ यही यौन अपराध पहले के कानून के दायरे में आते थे।

खास कानून नहीं होने से बाल यौन शोषण पर कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल था। बच्चों के यकीन और मासूमियत की वजहों से उनके साथ होने वाले यौन शोषण में अक्सर जोर–जबरदस्ती नहीं होती। बच्चों के साथ अक्सर औरतों जैसा बलात्कार भी नहीं होता। साथ ही लड़कों के यौन शोषण के मामले में भी कार्रवाई मुश्किल थी क्योंकि फौजदारी कानून में केवल महिला ही यौन हिंसा का शिकार हो सकती है।

वर्ष 1996 में जाकू केस (श्रीमती सुदेष जाकू बनाम के.सी.जे. व अन्य) के द्वारा बाल यौन शोषण का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने आया। इस मामले में एक छह साल की बच्ची का बाप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी योनि में ऊंगली और उसके मुंह में अपना लिंग डालता था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि मौजूदा कानून में यह व्यवहार बलात्कार की परिभाषा में नहीं आता। 2013 से पहले केवल लिंग और योनि द्वारा जबरन या असहमति से किया गया संभोग ही बलात्कार कहलाता था। इस तरह महिला या बच्ची की योनि में अन्य अंग या वस्तु डालना बलात्कार नहीं माना जाता था।

इस मामले के बाद महिला और बाल अधिकार संस्थाओं ने कानून बदलने की मांग की। इसी सिलसिले में साक्षी नामक संस्था ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका

[4] यह धारा योनी और लिंग के साहचर्य वाले यौन संबंधों के अलावा अन्य यौन प्रक्रियाओं (जैसे लिंग को मूत्रमार्ग में डालना, आदि) को अप्राकृतिक मानते हुए इसे अपराध करार देती है, चाहे वह रज़ामंदी से ही क्यों न बनाए गए हों। इसका इस्तेमाल समलैंगिक, ट्रांसजेंडर, आदि लोगों को डराने, धमकाने और उनका शोषण करने के लिए किया जाता रहा है।

दाखिल कर बाल यौन शोषण का मुद्दा उठाया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से ऐसे मामलों को देखते हुए कहा कि बाल यौन शोषण के मुद्दे को हल करने के लिए 'बलात्कार' की परिभाषा को बदलना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद को इस पर एक विशेष कानून बनाने की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के मामले पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए, जैसे कार्यवाही के दौरान बच्चे और दोषी के बीच पर्दा होना चाहिए ताकि बच्चा अपराधी को न देख सके, कोर्ट में बयान के समय बच्चा चाहे तो ब्रेक ले सकता है और दोषी का वकील केवल जज के माध्यम से ही बच्चे से सवाल करे।

भारतीय विधि आयोग ने भी वर्ष 2000 में अपनी रिपोर्ट[5] में कहा कि 'बलात्कार' की परिभाषा में संशोधन लाना जरूरी है जिससे मलद्वार (पखाने की नली) में लिंग डालना या मुंह में लिंग डालना भी बलात्कार माना जाए। इस बाबत विधि आयोग ने व्यापक बदलाव के सुझाव दिए।

भारत ने बाल अधिकार संविदा (C.R.C.)[6] को दिसंबर, 1992 में अपनी स्वीकृति दी थी। इस अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के पालन के लिए तीन कानून पारित हुए :

- किशोर न्याय (बालकों का देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 और
- यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो)।

यह तीन कानून बच्चों के अधिकारों के संरक्षण का ढांचा तैयार करते हैं। इस कानूनी ढांचे से बच्चों का संपर्क दो कारणों से होता है – बच्चों द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर और तब जब बच्चे को देखभाल और संरक्षण की जरूरत हो। इस पुस्तिका में हम पोक्सो की बात करेंगे और साथ ही इससे जुड़े अन्य कानूनों पर भी चर्चा होगी।

[5] 172वीं रिपोर्ट – बलात्कार संबंधित कानून की समीक्षा, इस रिपोर्ट को आप नीचे दिए गए लिंक के जरिए पढ़ सकते हैं। http:/www.lawcommissionofindia.nic.in@rapelaws.htm

[6] Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989

2

कानून का उद्देश्य, मुख्य अवधारणाएं और शब्दावली

वर्ष 2012 में पोक्सो के आने के बाद बाल यौन शोषण के सभी मामले इसी कानून के दायरे में आएंगे। जैसा कि इस पुस्तिका के पहले अध्याय की शुरूआत में ही बताया गया है कि बाल यौन शोषण पर कार्यवाही के लिए अपराध, निर्धारण प्रक्रियाएं और कानूनी ढ़ांचे बनाए गए हैं। यह भी बताया गया है कि पोक्सो साधारण फौजदारी कानून से अलग है। इसकी विशेषताएं और सिद्धांत बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करते हैं। इस अध्याय में इन पहलूओं पर और बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली पर चर्चा की गई है।

2.1. कानून का उद्देश्य

यह कानून बाल यौन शोषण के तहत आनेवाले व्यवहारों को अपराध घोषित करने के साथ–साथ उनपर अपराधों से निपटने के लिए ऐसी संवेदनशील प्रक्रिया निर्धारित करता है ताकि उसमें बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके अलावा इस कानून में बच्चे की राहत के लिए मुआवजे का भी प्रावधान है।

2.2. कानून की मुख्य अवधारणाएं

(क) बालक – कानून 18 साल की उम्र तक के व्यक्तियों को बालक का दर्जा देता है।

(ख) जेंडर निरपेक्ष – इसका मतलब यह है कि 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों–लड़का, लड़की या अन्य जेंडर को यह कानून सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून में दोषी भी किसी भी लिंग अथवा जेंडर का हो सकता है, मसलन पुरुष या महिला या अन्य जेंडर।

(ग) **सांझे घर में बच्चे** – इस कानून में घर की परिभाषा माता–पिता तक सीमित नहीं है। यह कानून सांझे घर का प्रयोग कर घर में रहने वाले हर व्यक्ति पर जिम्मेदारी डालता है (जैसे घरेलू कर्मी, रिश्तेदार, आदि)। इन सभी पर बच्चों के देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बच्चे भी इन करीबी सदस्यों पर यकीन कर अपनी जरूरतों के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। बच्चे ताउम्र सांझे घर में किसी भी सदस्य द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के दंश को नहीं भूलते।

(घ) **देखभाल और संरक्षण की जरूरत में बच्चे** – परिवार या सांझे घर में यौन शोषण झेलने वाले बच्चे को कानून इस श्रेणी में तब डालता है जब ऐसे बच्चों के अभिभावक न हों या वे बच्चों की देखभाल के लायक न हों। यहां यह बताना भी जरूरी है कि 'किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 भी खास हालात से जूझ रहे बच्चों को देखभाल और संरक्षण की श्रेणी में डालता है। यह खास हालात हैं :

- जिनके पास न कोई सहारा है और न ही जीवनयापन का साधन
- जब बच्चे को मारने की धमकी दी जाए या मारा जाए या बच्चे का शोषण करे या उसके प्रति लापरवाही बरते
- जब शारीरिक या मानसिक बीमारी से जूझ रहे बच्चे की देखभाल के लिए कोई न हो
- जब बच्चे के माता या पिता शारीरिक या मानसिक परेशानियों के कारण बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रहे हों
- लापता या घर से भागे हुए बच्चे
- अगर बच्चे के साथ यौन शोषण हो रहा है या भविष्य में ऐसा होने की संभावना है
- जब बच्चा नशे या मानव व्यापार का शिकार हो
- अगर बच्चा प्राकृतिक आपदा या सांप्रदायिक दंगों की भयानक परिस्थितियों से गुज़रा हो।

अगर ऊपर चिन्हित किए गए बच्चों के साथ यौन शोषण होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए खास प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे बाल कल्याण समिति के सामने पेशगी, उनके लिए सुरक्षित रहने की जगह मुहैय्या कराना, आदि।

(च) **कानून की नज़र में बच्चों की सहमति के कोई मायने नहीं** – फौजदारी कानून में महिला की रजामंदी के बिना बनाया जाने वाला यौन संपर्क दंडनीय अपराध है। लेकिन, बच्चों के मामलों में यौन संपर्क, चाहे उनकी रजामंदी से ही क्यों नहीं बनाया गया हो, वह अपराध कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि बच्चों के शरीर पूरी तरह से उस तरह के संपर्क के लिए तैयार नहीं होते और उनके कच्चेपन का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। मगर 16–18 साल के बच्चों की रजामंदी के सवाल पर इस कानून के प्रावधान ने परेशानियां खड़ी कर दी हैं। इनकी चर्चा अध्याय 6 में की गई है।

(छ) **विभिन्न ढांचे और विशेषज्ञ/परामर्शदाता** – इस कानून में विभिन्न ढांचे (जैसे विशेष किशोर पुलिस यूनिट, बाल कल्याण समिति, विशेष सरकारी वकील या पीड़ित के वकील, विशेष कोर्ट, मेडिकल अधिकारी) और परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों (जैसे मनोवैज्ञानिक, बच्चे का विश्वासी व्यक्ति, सहायक व्यक्ति, विशेष शिक्षाकर्मी, अन्य विशेषज्ञ, आदि) को हितधारक बनाया गया है। यह ढ़ांचे यौन उत्पीड़न के मामलों में बच्चों की जरूरतों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए हैं मसलन मेडिकल सेवा, शिक्षा, सुरक्षित गृह, मुआवजा, आदि। साथ ही विशेषज्ञों/परामर्शियों की श्रेणी बच्चों और कानूनी ढांचों के बीच अंतर्क्रिया विकसित कर शीघ्र समाधान निकालने के लिए बनायी गई है।

(ज) **मानसिक और शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे बच्चों के लिए विशेष सहायता** – शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक चुनौतियों से जूझ रहे बच्चों की बात को पूरी तरह से समझने के लिए कानून में मनोवैज्ञानिक, मेडिकल विशेषज्ञ, आदि की सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है।

(झ) **पहचान गुप्त रखना** – कानून में बच्चे की पहचान को गुप्त रखना अनिवार्य है। यौन शोषण के मामले में अफवाह पैदा करना और समाज में बच्चे की चर्चा करना या उन्हें ताने देना उनके हितों के खिलाफ है।

(ट) **निगरानी–तंत्र** – कानून के सही अमलीकरण के वास्ते निगरानी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस.सी.पी.सी.आर.) को सौंपी गई है।

2.3 बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली

पोक्सो में यौन अपराधों के लिए ऐसी शब्दावली बनाई गई है जिसका उपयोग सभी लैंगिक व जेंडर समूहों के बच्चों के लिए किया जा सकता है। इन अपराधों को समझने के लिए पहले इनसे जुड़े शब्दों (यौन अंग, प्रवेशन, हमला, गंभीर) को समझने की जरूरत है :

(क) **यौन अंग** – इसका मतलब लड़के या लड़की के 'निजी अंगों' से है। इसमें लड़कों के मूत्रमार्ग यानी पेशाब नली और मलद्वार यानी शौच नली आते हैं। लड़कियों के मामले में इसके अंतर्गत योनि, मूत्रमार्ग, मलद्वार, छाती, सभी आते हैं। इन सभी को इस कानून में यौन अंग माना गया है। अगर बच्चों के इन यौन अंगों के साथ कोई व्यक्ति छेड़खानी करता है, तो उसकी गिनती यौन अपराधों में की जाएगी।

(ख) **प्रवेशन** – प्रवेशन का शाब्दिक अर्थ है 'घुसाना' या 'डालना'। यहां पर इस शब्द का उपयोग यौन हिंसा के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसके अंतर्गत केवल यौन अंगों में प्रवेश करने से जुड़े मामले ही जाएंगे, जिन्हें आमतौर पर 'बलात्कार' कहा जाता है – जैसे किसी लड़के के मूत्रमार्ग या मलद्वार और अगर लड़की है, तो उसकी योनि, मूत्रमार्ग, मलद्वार में लिंग या उंगली या कोई चीज डाली जाए, तो वह 'प्रवेशन' कहलाएगा। हालांकि सरलता के लिए इस पुस्तिका में हम 'बलात्कार' शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर पोक्सो में इसे 'प्रवेशन हमला' कहा गया है।

(ग) **हमला और यौन उत्पीड़न** – पोक्सो में बाल यौन शोषण के लिए कई अलग–अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इनके मतलब में अंतर है। हमला उन परिस्थितियों में इस्तेमाल होता है जहां शारीरिक संपर्क बनाया गया हो। इसमें जरूरी नहीं है कि बच्चे के खिलाफ किसी तरह के शारीरिक बल का प्रयोग हो या उसके साथ जोर जबरदस्ती हो। बच्चे को बहला–फुसलाकर या ड़रा–धमकाकर (बगैर जोर–जबरदस्ती के) भी बच्चे के साथ शारीरिक रुप से यौन संपर्क बनाया जा सकता है। लेकिन उत्पीड़न शब्द उन मामलों में इस्तेमाल होता है जहां इशारे से या बोलकर या अश्लील सामग्री दिखाकर शोषण होता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई शारीरिक संपर्क बनाया जाए।

(घ) **गंभीर** – इस कानून में 'गंभीर' शब्द का मतलब उन विशेष परिस्थितियों से है जिनमें सामान्य परिस्थितियों से ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। यह माना गया है कि जिन लोगों पर बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है या जिन पर बच्चा अपनी जरूरतों के लिए निर्भर रहता है, उनके द्वारा जब किसी भी तरह का यौन शोषण किया जाए, तो वह गंभीर माना जाएगा। इसी तरह अगर शोषण इतना क्रूर हो कि बच्चा मानसिक संतुलन ही खो बैठे या उसे शारीरिक चोट पहुंचे अथवा उसे एड्स हो जाए, तो उसे भी गंभीर माना जाएगा।

3

बाल यौन शोषण से जुड़े अपराध

यौन शोषण के अनेक तरीके और उनकी गंभीरता के आधार पर "बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम" 2012 में अपराधों की श्रेणी बनाई गई है। हमने कानून में दिए गए मुख्य अपराधों को चर्चा की सहुलियत के हिसाब से इन श्रेणियों में बांटा है :

- बच्चों के यौन अंगों में प्रवेश से जुड़े अपराध
- शारीरिक संपर्क से जुड़े अपराध
- बिना शारीरिक संपर्क बनाए यौन उत्पीड़न
- बच्चों को यौन कार्यों में शामिल करना, जैसे उनकी फोटो उतारना, उसे बांटना और उससे फायदे उठाना
- अपराध करने के लिए उकसाना या प्रयास करना
- बच्चों के प्रति कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभाने से जुड़े अपराध
- फौजदारी कानून से जुड़े अपराध

3.1 बच्चों के यौन अंगों में प्रवेश से जुड़े अपराध

इन अपराधों की श्रेणी के तहत बच्चों के यौन अंगों में लिंग, शरीर का कोई अन्य अंग या वस्तु डालना, जैसे व्यवहार आते हैं। यह व्यवहार कुछ परिस्थितियों में (जब विश्वासी व्यक्ति द्वारा किया गया हो और जहां अधिक क्रूरता से हो या जिससे बच्चे को अधिक चोट पहुंचे) ज्यादा गंभीर माने गए हैं। इस श्रेणी में आने वाले अपराधों की चर्चा नीचे की गई है :

(क) **बच्चे के यौन अंगों में प्रवेश/बलात्कार (धारा 3 एवं धारा 4) :** अगर कोई व्यक्ति अपना लिंग या शरीर का कोई भी अंग या वस्तु बच्चे की योनि, लिंग, मलद्वार,

मूत्रमार्ग, मुंह में डालता है, तो उसे 7 साल से शुरू होकर उम्र कैद तक की सज़ा के साथ आर्थिक दंड यानी जुर्माने की सज़ा मिलेगी। अगर वह व्यक्ति किसी और व्यक्ति से ऐसा अपराध करवाता है या फिर बच्चे को ऐसा करने को बोलता है, तब भी वह यही सज़ा पाएगा। यह अपराध बलात्कार समान है।

उदाहरण : यदि पुरुष अपना लिंग बच्चे के मुंह में डाले, कोई व्यक्ति अपनी ऊंगली बच्चे के मलद्वार (पखाने का रास्ता) में डाले या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा करवाए या कोई व्यक्ति किसी बच्चे को मजबूर करे कि वह अपना लिंग उस व्यक्ति के मुंह में डाले।

(ख) अन्य परिस्थितियां जो बच्चे के बलात्कार को ज्यादा गंभीर बना देती हैं (धारा 5 एवं धारा 6) : कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा अपराध गंभीर रूप ले लेता है, जिनका जिक्र नीचे किया गया है :

- जब कोई सत्ताधारी व्यक्ति अपने पद का दुरूपयोग कर अपने संरक्षण में रह रहे बच्चे के साथ ऐसा करे, जैसे पुलिस, सेना, लोक सेवक, विद्यालय, धार्मिक संस्था, सुधार गृह, अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी
- जिस व्यक्ति से बच्चा गहरा विश्वास का संबंध रखता हो, जैसे माता–पिता, घर का कोई अन्य सदस्य या जब व्यक्ति बच्चे के साथ खून के रिश्ते या गोद लेने के रिश्ते से जुड़ा हुआ हो
- जब बच्चे पर ऐसा यौन हमला बार–बार हो या जब एक से अधिक व्यक्ति बच्चे पर ऐसा यौन हमला करें
- शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे बच्चे की स्थिति का फायदा उठाकर उस पर ऐसा यौन हमला हो या जब 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर ऐसा यौन हमला हो
- ऐसे हमले करते वक्त घातक हथियार का इस्तेमाल हुआ हो, गंभीर चोट पहुंची हो या इसकी वजह से बच्चे को एच.आई.वी. या कोई अन्य घातक बीमारी हो जाए या इस हमले के कारण बच्चा मानसिक संतुलन खो बैठे
- सांप्रदायिक दंगों के दौरान बच्चों को ऐसे हमले का निशाना बनाना

- गर्भवती लड़की के साथ 'प्रवेशन' अपराध करना या ऐसे हमले के कारण किसी लड़की का गर्भवती हो जाना
- ऐसे हमले के बाद बच्चे को मारने की कोशिश की जाए या उसको नंगा कर घुमाया जाए
- जब कोई व्यक्ति इस जुर्म की सज़ा भुगतने के बाद फिर से किसी बच्चे पर ऐसा हमला करे

इस अपराध के लिए आर्थिक दंड और कम–से–कम 10 साल की कैद का प्रावधान है, जो बढ़ाकर उम्रकैद तक भी की जा सकती है।

उदाहरण : अध्यापक बच्चे को अकेले में बुलाकर उसकी योनि में अपना लिंग डाले, बच्चे के नजदीकी रिश्तेदार उसे नहलाने के दौरान उसके लिंग को अपने मुंह में डाले, बाल गृह का संचालक कुछ बच्चों के कपड़े उतार कर उनसे एक–दूसरे के लिंग को मुंह में डालने को कहे, मानसिक रूप से अस्थिर लड़की के मलद्वार में पड़ोसी अपनी ऊंगली डाले।

3.2 शारीरिक संपर्क से जुड़े अपराध

इस श्रेणी के तहत वे सारे यौन व्यवहार आ जाते हैं जिनमें बच्चे के साथ किसी भी तरीके से शारीरिक संपर्क बनाया जाए या उसकी कोशिश की जाए। इसे कानून यौन शोषण मानता है और कुछ परिस्थितियों में ज्यादा गंभीर करार देता है।

(क) बच्चे को यौन मंशा/नीयत से छूना (धारा 7 एवं धारा 8) : अगर कोई व्यक्ति बच्चे के लिंग, योनि, छाती या मलद्वार को यौन नीयत से छूता है, तो उसे 3 से 5 साल तक की सज़ा होगी, साथ ही आर्थिक दंड भी। अगर कोई ऐसा कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो यह भी अपराध है।

उदाहरण : बच्चे को घर पर अकेला पाकर पड़ोसी अपने कपड़े उतारकर बच्चे से अपना लिंग छूने को बोले, स्कूल में कुछ बड़ी कक्षा के बच्चे दो छोटे बच्चों को नंगा कर उनसे एक–दूसरे के लिंग को छूने को कहे। मगर डॉक्टर की जांच के दौरान बच्ची की योनि को छूना या पिता का बच्चे को नहलाते समय उसके यौन अंग को छूना अपराध नहीं है क्योंकि वे बच्चे को यौन नीयत से नहीं छू रहे।

(ख) **अन्य परिस्थितियां जब बच्चे को यौन नीयत से छूना ज्यादा गंभीर बन जाता है (धारा 9 एवं धारा 10) :** जिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ शारीरिक संपर्क ज्यादा गंभीर माना जाता है, उनका जिक्र नीचे किया गया है –

- जब कोई सत्ताधारी व्यक्ति अपने पद का दुरूपयोग कर अपने संरक्षण में रह रहे बच्चे के साथ ऐसा करे, जैसे पुलिस, सेना, लोक सेवक, विद्यालय, धार्मिक संस्था, सुधार गृह, अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी
- जिस व्यक्ति पर बच्चा विश्वास करता है, जैसे माता–पिता, घर का कोई अन्य सदस्य या जिस व्यक्ति से बच्चे का खून का रिश्ता या गोद लेने का रिश्ता हो
- जब कोई बच्चे को बार–बार ऐसे छुए या जब एक से अधिक व्यक्ति बच्चे के साथ यह अपराध करे
- शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे बच्चे या 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ऐसा करना
- यौन संपर्क करते समय घातक हथियार का इस्तेमाल करना या चोट पहुंचाना या ऐसा करने से बच्चे को एच.आई.वी. या कोई और घातक बीमारी की चपेट में डाल देना या जब बच्चा मानसिक संतुलन खो दे
- यौन संपर्क के बाद बच्चे को नंगा कर घुमाना
- गर्भवती लड़की के साथ ऐसा करना या ऐसा करने के बाद बच्चे को मारने की कोशिश करना
- सांप्रदायिक दंगों के दौरान बच्चों को निशाना बनाना
- कोई व्यक्ति जो इस जुर्म की सज़ा भुगतने के बाद फिर से ऐसा अपराध करता है।

इस अपराध के लिए 5 साल से 7 साल तक की कैद के प्रावधान के साथ आर्थिक दंड भी है।

उदाहरण : पिता बच्चे से अपना लिंग छूने को कहे, सेना का अधिकारी घर की तलाशी लेते समय बच्चे को कमरे में अकेला पाकर उसकी छाती और योनि को छुए, दुकानदार बच्ची को डंडे से मारकर दुकान में खींच लाए तथा उसके कपड़े उतारे।

3.3 बिना शारीरिक संपर्क बनाए यौन उत्पीड़न

निम्नलिखित व्यवहार यौन उत्पीड़न के अपराध की श्रेणी में आते हैं :

- शब्दों या इशारों का प्रयोग करना
- इशारे या आवाज से बच्चे का ध्यान आकर्षित कर उन्हें शरीर का कोई अंग दिखाना
- बच्चे को अपने शरीर का कोई हिस्सा दिखाने को कहना
- अश्लील तस्वीरें या ऐसी कोई सामग्री दिखाना
- बच्चे पर (चाहे आमने–सामने या इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल साधनों द्वारा) लगातार नज़र रखना या पीछा करना या किसी भी तरीके से संपर्क बनाने की कोशिश करना
- बच्चे की फिल्म, विडियो या कोई और मीडिया कतरन जिसमें उसे यौन कार्य करते हुए दिखाया गया हो, उसका दुरूपयोग करने की धमकी देना।

इस अपराध के लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

उदाहरण : आम रास्ते पर चलते हुए कोई व्यक्ति अपना लिंग बच्चे को दिखाए, पड़ोसी बच्चे को नहाते समय अपनी खिड़की से रोज़ देखे, नजदीकी रिश्तेदार बच्चे को नंगा कर अपने दोस्तों को उसका शरीर दिखाए। यह सब यौन उत्पीड़न है। मगर कक्षा में बच्चों को शरीर के अंगों की जानकारी देने के लिए मानव शरीर की तस्वीर दिखाना यौन उत्पीड़न नहीं कहलाएगा क्योंकि यहां बच्चे का इस्तेमाल या बच्चे के प्रति यौन नीयत नहीं जुड़ा है।

3.4 बच्चों को यौन कार्यों में शामिल करना, जैसे उसकी फोटो उतारना, बांटना और उससे लाभ उठाना

बच्चों की अश्लील (पोर्नोग्राफिक) फिल्म बनाना, उसे बांटना या ऐसी सामग्री से मुनाफा कमाना या निजी उपयोग करना, यह सब कानून में अपराध माना गया है।

(क) अश्लील कार्य के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना (धारा 13 एवं 14) : किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे का यौन मनोरंजन के लिए इस्तेमाल (जैसे टेलीविजन चैनलों

या विज्ञापन या इंटरनेट पर निजी उपयोग या दूसरों से साझा करने के लिए इस्तेमाल) अपराध है। इसमें बच्चों का अश्लील चित्रण जैसे नंगी, अश्लील या यौन कार्य करवाकर उसकी फिल्म अथवा फोटो बनाना, छापना, बांटना या इंटरनेट पर प्रदर्शित करना आता है।

इस अपराध के लिए दोषी को 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। यह अपराध दोबारा करने पर 7 साल तक की कैद हो सकती है।

उदाहरण : यदि पड़ोसी खिड़की से एक लड़की को नहाते हुए कैमरे व विडियो में कैद करे, अपने पास रखे या इंटरनेट पर डाले; दोनों अपराध है। मगर बाल यौन शोषण पर जागरुकता बढ़ाने के लिए बनी फिल्म अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मकसद अश्लील मनोरंजन के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों को तीक्ष्णता से उठाकर उन पर जागरुकता बढ़ाना है।

इस अपराध के साथ एक या अनेक और अपराध होते हैं, तो सज़ा बढ़ जाएगी, जैसे बलात्कार करने पर 10 साल से उम्रकैद तक की सज़ा के साथ आर्थिक दंड, बच्चों को यौन नीयत से छूने पर 6 से 8 साल की सज़ा के साथ आर्थिक दंड।

(ख) बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को रखना (धारा 15) : इस धारा के तहत व्यवसाय या अन्य किसी आर्थिक लाभ के मकसद से बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री रखना अपराध है। इसके लिए 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

3.5 अपराध करने के लिए उकसाना या प्रयास करना

बच्चों से जुड़े किसी भी तरह के यौन अपराध करने के लिए उकसाना, साजिश करना या प्रयास करना अपने आप में अपराध है।

(क) किसी अपराध को करने के लिए उकसाना (धारा 16 एवं 17) : इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं :

- अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाए, बहकाए या कोई ऐसी बात जानबूझ कर छुपाए जो उसे बतानी चाहिए

- अपराध करने के लिए एक या एक से अधिक लोग साजिश करें और ऐसी साजिश को पूरा करने के लिए अन्य कोई अपराध करे
- ऐसी मदद देना जिससे अपराध घटित हो जाए
- इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए, उसे धमकाए या उसका अपहरण करे, उसके साथ धोखाधड़ी करे, या अपने पद का गलत उपयोग करे।

किसी अपराध में सहायता करने या उकसाने के लिए उतनी ही सज़ा मिलेगी, जितनी उस अपराध के लिए निर्धारित है।

उदाहरण : कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, वह उसकी उम्र को ज्यादा बताकर उसे वेश्यावृति में भेजता है या स्कूल का बस ड्राइवर और कंडक्टर बच्चे को स्कूल के बाद तीसरे व्यक्ति के पास ले जाता है जो उनकी अश्लील तस्वीरें उतारता है। इन दोनों उदाहरणों में बच्चों का यौन शोषण कुछ व्यक्तियों की मदद की वजह से होता है। ऐसी मदद देना उतना ही बड़ा अपराध माना जाता है, जितना वह अपराध जो उनकी मदद से मुमकिन हुआ।

(ख) **अपराध करने का प्रयास करना (धारा 18) :** इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपराध करने का प्रयास करता है या किसी और व्यक्ति द्वारा अपराध करवाता है, तो वह अपराध है। सिर्फ अपराध करने का विचार अपराध का प्रयास करना नहीं कहलाएगा, लेकिन जब व्यक्ति अपराध करने की दिशा में कोई कदम उठाता है, तब वह इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। ऐसे में दोषी को उस अपराध की निर्धारित सज़ा की आधी सज़ा मिलेगी।

उदाहरण : घर में काम करने वाला घरेलू श्रमिक बच्ची के कमरे में घुसकर उसकी स्कर्ट उठाने की कोशिश करता है। इसके आगे कुछ होने से पहले ही बच्ची चिल्ला उठती है और उसके माता–पिता आ जाते हैं। घरेलू श्रमिक इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा।

एक व्यक्ति बच्चे की अश्लील तस्वीर उतारने की उम्मीद से होटल में कमरा लेकर वहां कैमरा लगाता है। इससे होटल के मैनेजर को शक होता है और वह तुरंत

पुलिस बुलवाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा देता है। वह व्यक्ति अपराध करने के प्रयास का दोषी है।

3.6 बच्चों के प्रति कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभाने से जुड़े अपराध

कानून में समाज के हर व्यक्ति के ऊपर बच्चों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कुछ जिम्मेदारियां डाली गई हैं। यह कानून पूरे समाज पर बच्चों को अपराध से बचाने, उसके रोकथाम और अपराध होने पर उसकी शिकायत करने की जिम्मेदारी सौंपता है। इन प्रावधानों से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं, जिनके बारे में अध्याय 6 में बात की गई है।

(क) **अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने में विफल रहना (धारा 20–21) :** अक्सर बाल यौन शोषण पर समाज में चुप्पी और हिचकिचाहट के कारण अपराध को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह चुप्पी बच्चे को भी बेजुबान कर देती है। इसलिए कानून के तहत हर व्यक्ति के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसे मामलों के बारे में जानकारी दें।

रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति पर है, जैसे होटल, अस्पताल, क्लब या फोटो स्टूडियो के कर्मचारी (अगर उनके सामने कोई अश्लील तस्वीर आती है), आदि। अगर उन्हे किसी भी ऐसी घटना या सामग्री के बारे में पता चलता है जिसमें बच्चे का यौन शोषण किया गया हो (जैसे बच्चे की पोर्नोग्राफी), तो उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

इस धारा के तहत अगर पुलिस अधिकारी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करता है, तो वह भी 6 महीने तक की सज़ा के काबिल है (धारा 21(1))। जिस तरह अनिवार्य रूप से रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर सज़ा है, उसी तरह शिकायत नहीं दर्ज करने पर भी सज़ा है। पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने पर 6 महीने तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन, किसी कम्पनी या संस्था के प्रमुख अगर संस्था में हो रहे किसी अपराध की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें भी एक साल तक की सज़ा हो सकती है (धारा 21)। हालांकि अगर बच्चे ऐसे किसी अपराध की जानकारी नहीं देते या रिपोर्ट नहीं करते, तो उन पर सज़ा का प्रावधान लागू नहीं होता (धारा 21(3))।

(ख) **झूठी रिपोर्ट दर्ज करना (धारा 22) :** अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने, बदनाम करने या धमकाने के मकसद से उसके खिलाफ झूठी शिकायत करता है, तो वह इस धारा के तहत अपराधी है। इसके लिए उसे 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं (धारा 22 (1))। इस धारा के तहत किसी बच्चे को झूठी शिकायत करने पर दंडित नहीं किया जा सकता (धारा 22 (2))। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जानबूझ कर बच्चे के खिलाफ इस कानून के तहत अपराध की झूठी रिपोर्ट दर्ज करता है या उसके खिलाफ कोई झूठी जानकारी देता है (जिससे बच्चे को चोट पहुंचती है), तो उस व्यक्ति को एक साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं (धारा 22 (3))।

(ग) **बच्चे की पहचान गुप्त रखना (धारा 23) :** अगर किसी बच्चे के यौन शोषण का मामला दर्ज होता है, तो मीडिया और अन्य लोगों पर उससे संबंधित कुछ प्रतिबंध हैं। मीडिया की किसी भी रिपोर्ट में बच्चे की पहचान या नाम, पता, तस्वीर, विद्यालय का नाम, आदि के खुलासे पर रोक है। इसके अलावा कोई बच्चे के बारे में ऐसी बात नहीं लिख या कह सकता है जिससे बच्चे की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचे।

ऐसा करने पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन, अगर विशेष न्यायालय को लगता है कि बच्चे के हित के लिए उसका नाम सामने आना जरूरी है, तो न्यायालय बच्चे का नाम सार्वजनिक करने का आदेश दे सकता है।

3.7 फौजदारी कानून से जुड़े अपराध

बाल यौन शोषण करते वक्त अगर कोई और अपराध भी किया जाए, जैसे बच्चे का अपहरण करना या मानव तस्करी करना या गहरी चोट पहुंचाना या कत्ल करना, तो ऐसे में पोक्सो की धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता की धाराएं भी लागू होंगी। साथ ही पोक्सो में या साधारण फौजदारी कानून में आरोपी गुनाहगार साबित हो जाता है, तो अपराधी को उस कानून के तहत सज़ा दी जाएगी जिसमें ज्यादा सज़ा का प्रावधान हो (धारा 42)।

4

कानूनी ढांचे

बच्चों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष ढ़ांचे और प्रक्रियाएं निर्धारित की गयी हैं। यह ढ़ांचे बच्चों से जुडे निम्नलिखित तीन कानूनों के अंतर्गत बनाए गए हैं जो निर्धारित प्रक्रिया के दौरान बच्चों की जरूरत के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करते हैं।

तीनों कानूनों के तहत बनाए गए विभिन्न ढांचे		
कानून	**विभिन्न ढांचे**	**उनकी जिम्मेदारियां**
पोक्सो अधिनियम, 2012	विशेष शिक्षाकर्मी	पुलिस, कोर्ट और अन्य कानूनी ढांचों के सामने बच्चे की बात को स्पष्ट करना
	दुभाषिया	मानसिक या शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे बच्चे की बातों को समझना और उनकी बातों को कोर्ट–कचहरी व पुलिस तक पहुंचाना
	बच्चों के विश्वासी व्यक्ति या सहायक व्यक्ति	मामले से जुड़ी कानूनी कार्यवाही, बच्चों के हक और संभावित परिणामों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना
	विशेष सरकारी वकील	प्रक्रिया के दौरान बच्चों के अधिकारों की निगरानी और उन्हें सुनिश्चित करना
	विशेष कोर्ट	बच्चों से संबंधित मामलों में फैसला देना
किशोर न्याय (बालकों का देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	विशेष किशोर पुलिस यूनिट	बच्चों से संबंधित केस में संवेदनशीलता के साथ मामले दर्ज करना और उसकी जांच करना
	बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.)	बच्चे के संपूर्ण हित को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए फैसला देना
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005	राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग	बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना, उन अधिकारों का उल्लंघन होने पर जांच एवं कार्यवाही करना और बाल गृह, किशोर गृह, आदि का निरीक्षण करना

4.1 विशेष किशोर पुलिस यूनिट

किशोर न्याय (बालकों का देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस यूनिट हर जिले और शहर में बनाए जाने का प्रावधान है। इसके सदस्य वैसे पुलिस अधिकारी होंगे जिनको 'बाल कल्याण अधिकारी' का पद दिया गया है। हर थाने में कम से कम एक 'बाल कल्याण अधिकारी' नियुक्त किए जाने का प्रावधान है और इस अधिकारी की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की मदद से बच्चों से जुड़े मामलों को देखने की है। 'बाल कल्याण अधिकारी' का पद उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने बच्चों के मामलों को निपटाने के लिए प्रशिक्षण लिया हो और जिन्हें अच्छा–खासा तर्जुबा हो ताकि वे बच्चों के प्रति संवेदनशील रवैया रख कर ऐसे मामलों को प्रभावी ढंग से निपटा सकें।

4.2 बाल कल्याण समिति

किशोर न्याय (बालकों का देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 राज्य सरकार को हर जिले में एक 'बाल कल्याण समिति' बनाने की जिम्मेदारी देता है। इस समिति के पांच सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जिनमें कम–से–कम एक महिला और एक बच्चों का विशेषज्ञ होना जरूरी है।

इन समितियों की भूमिका किशोर न्याय (बालकों का देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में परिभाषित है और इन समितियों के ऊपर पोक्सो के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित जिम्मेदारियां भी हैं –

- अगर पुलिस को लगता है कि पीड़ित बच्चे को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, तो उसे बच्चे को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के पास पेश करने की जिम्मेदारी है। समिति तथ्यों (जैसे बच्चे के माता–पिता की क्षमता, बच्चे की उम्र, समझ, लिंग, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, बच्चे की खास जरूरतें, बच्चे की रोग ग्रस्तता, आदि) को ध्यान में रखते हुए यह फैसला करेगी कि बच्चे को संरक्षण के लिए बाल सुरक्षा गृह भेजने की जरूरत है या नहीं।

- यह जरूरी नहीं है कि पुलिस ही बच्चे को समिति के सामने पेश करे। किशोर न्याय (बालकों का देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अनुसार अन्य लोग, जैसे कोई लोक सेवक/सरकारी कर्मचारी, चाईल्डलाइन या कोई रजिस्टर्ड गैर–सरकारी संगठन, भी बच्चे को समिति के पास ले जा सकते हैं। बच्चा खुद भी अपना मामला लेकर इस समिति के पास जा सकता है।
- समिति बच्चों के हित को सुरक्षित रखने के लिए उसकी देखरेख, सुरक्षा, इलाज, विकास और पुनर्वास के लिए अंतिम निर्णय ले सकती है।
- बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेते समय समिति के सदस्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों से बातचीत कर बहुमत के आधार पर फैसला कर सकते हैं। अगर किसी मामले में कोई बहुमत नहीं हो, तो समिति के अध्यक्ष का फैसला मान्य होगा।

4.3 विशेष शिक्षाकर्मी, अनुवादक व दुभाषिया

यह माना गया है कि बाल यौन शोषण से पीड़ित बच्चे अक्सर अपनी बात कह या समझा नहीं पाते। यह मानसिक या शारीरिक चुनौतियों के कारण या भावनात्मक परेशानियों के कारण हो सकता है। पोक्सो के तहत बच्चों से बातचीत कर उनकी उलझनों को समझने और उन्हें हल करने के लिए विशेष शिक्षाकर्मी को उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान हैं (नियम 2 (घ))।

इसके अलावा दुभाषिये का काम है कि वह किसी भी बात को संकेत या इशारों के जरिए या इशारों को बातों के जरिए समझाए। ऐसे व्यक्ति मानसिक या शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे बच्चों की बातों को समझने, उनकी मदद करने और उनकी बातों को कोर्ट–कचहरी तथा पुलिस तक पहुंचाने का काम करते हैं।

इस तरह पोक्सो में बच्चों की जरूरतों और न्यायिक प्रक्रिया मे सबूतों से जुड़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दुभाषिया, अनुवादक और विशेष शिक्षाकर्मी की नियुक्तियों के प्रावधानों के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि बच्चों की बातें कोर्ट–कचहरी और पुलिस तक रखी जा सकें। हर जिले में 'जिला बाल सुरक्षा

इकाई' की जिम्मेदारी है कि वह इन लोगों के नाम और संपर्क का रजिस्टर रखें। इस रजिस्टर में दिए गए नामों के अलावा, अनुवादक या दुभाषिये या विशेष शिक्षाकर्मी का चयन उनके अनुभव, औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण, संबंधित भाषा में जानकारी, आदि के आधार पर किया जा सकता है। अगर बच्चा अपनी इच्छा जाहिर करे कि वह किसी खास जेंडर के व्यक्ति से ही अपनी बातें साझा करना चाहता है, तो उसकी पसंद के हिसाब से अनुवादक, विशेष शिक्षाकर्मी, दुभाषिये या विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने चाहिए। किसी मामले में जरूरत पड़े, तो एक से ज्यादा ऐसे व्यक्तियों को भी दुभाषिये, अनुवादक या विशेष शिक्षाकर्मी के रूप में जोड़ा जा सकता है। इनके फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों का देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत या जिला बाल सुरक्षा इकाई के जरिए किया जाएगा।

4.4 विशेषज्ञ

ऐसे व्यक्ति मनोविज्ञान, चिकित्सा, बाल–विकास आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित होते हैं। इनकी जरूरत पोक्सो के उन मामलों में पड़ सकती है जहां बच्चे किसी सदमे या मानसिक शारीरिक या अन्य तरह की चुनौतियों के कारण अपनी बात कह नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति ऐसे बच्चों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी बात को समझते हैं और उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं।

4.5 सहायक व्यक्ति

इन्हें यौन शोषण के मामलों में बाल कल्याण समिति द्वारा केस से जोड़ा जाता है। वे पीड़ित बच्चे और उसके अभिभावक को जांच और कोर्ट की पूरी प्रक्रिया के दौरान मदद के लिए उनके साथ रहते हैं। वे बच्चे के माता–पिता, अन्य परिवारजन या विश्वासी व्यक्ति को केस से जुड़ी कानूनी कार्यवाही, उनके हक और संभावित परिणामों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वे बच्चों को भी कानूनी प्रक्रिया में उनकी भूमिका के बारे में बताते हैं।

4.6 बच्चों के विश्वासी व्यक्ति

पोक्सो कानूनी प्रक्रिया के दौरान बच्चे के भरोसेमंद करीबी व्यक्ति को बच्चे के साथ रहने की इजाजत देता है। वह 'भरोसेमंद व्यक्ति' माता–पिता या कानूनी अभिभावक या रिश्तेदार या पड़ोसी या अध्यापक या सामाजिक कार्यकर्ता या दोस्त हो सकता है और वह बच्चे के साथ रहकर उसको कोर्ट पुलिस, मेडिकल आदि से जुड़ी प्रक्रियाओं से अवगत कराकर प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने में मदद करता है।

4.7 विशेष सरकारी वकील

बाल यौन शोषण के मामलों को राज्य की तरफ से लड़ने के लिए विशेष सरकारी वकील को नियुक्त करने का प्रावधान बनाया गया है। ऐसे वकील को कम–से–कम सात साल का तर्जुबा होना चाहिए (धारा 32(1))। ऐसा इसलिए क्योंकि बाल यौन शोषण के मामलों में विशेष समझ, सहनशीलता और बच्चों से अच्छा रिश्ता बनाने पर ही मामले में संबंधित सारे तथ्य सामने आ पाते हैं। इन विशेष सरकारी वकीलों के ऊपर पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चों के अधिकारों की निगरानी और उनको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियां डाली गयी हैं।

इसके अलावा बच्चे के माता–पिता या अन्य अभिभावक को यह अधिकार दिया गया है कि वे बच्चे के पक्ष में और उसके हितों को सुनिश्चित करने के लिए अलग से एक वकील भी रख सकते हैं। अगर बच्चे के माता–पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो उन्हें सरकार से कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी है (धारा 40)।

4.8 विशेष कोर्ट

पोक्सो के अंतर्गत बाल यौन शोषण की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट बनाने का प्रावधान है। हर जिले मे एक सेशन कोर्ट को पोक्सो के अंतर्गत आने वाले मामलों को सुनने की जिम्मेदारी दी गई है (धारा 28 (1))। कोर्ट के ऊपर सुनवाई के दौरान बच्चों की परिस्थिति और क्षमता का आकलन करना और अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही उनके ऊपर यह जिम्मेदारी भी है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और

न्यायपूर्ण हो, जहां दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिले। इन मुद्दों पर हमने अध्याय 5 में चर्चा की है।

4.9 राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थापित किए गए बाल संरक्षण आयोग को पोक्सो के केसेज पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सी.पी.सी.आर.) अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत स्थापित किया गया है। इनका मुख्य कार्य बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करना और उनका उल्लंघन होने पर जाँच एवं कार्यवाही करना है। केस की जाँच और उससे जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आयोग को दीवानी अदालत के समान शक्ति व जिम्मेदारी प्रदान की गई है। इसके अलावा इन्हें निम्न जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं –

- यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना करे
- बाल गृह, किशोर गृह आदि का निरीक्षण करना व निगरानी रखना
- पोक्सो कानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति को मॉनिटर करना
- गैर सरकारी संगठनों, दुभाषिए, अनुवादक और विशेष शिक्षाकर्मी की निर्धारित भूमिका पर मार्गदर्शिका बनाना
- कानून के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना
- बाल कल्याण समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाले बाल यौन शोषण के मामलों पर रिपोर्ट तलब करना
- न्यायालय में चल रहे मामलों की संख्या का ब्यौरा लेना और मामलों की ताज़ा जानकारी रखना

5

शिकायत, मेडिकल, बयान, मुकदमा और राहत से जुड़े पीड़ित बच्चे के अधिकार

इस कानून की खासियत यह है कि इसके ढांचे (जिसकी चर्चा अध्याय 4 में की गई है) और शिकायत, मेडिकल, बयान और मुकदमे के प्रक्रिया तंत्र बच्चों के अधिकारों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए हैं। इसके अलावा बच्चे को उचित राहत देने की बात भी कही गई है।

5.1 शिकायत के दौरान बच्चों के अधिकार (धारा 19)

- बाल यौन शोषण के खिलाफ रिपोर्ट घटना के बाद या शक होने पर, घटना घटने के पहले भी की जा सकती है।
- यह रिपोर्ट किसी भी थाने में या बच्चे के घर या स्कूल या अन्य जगह जहां बच्चा सुरक्षित महसूस करे, वहां दर्ज की जा सकती है। रिपोर्ट रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा थाने में भी भेजी जा सकती है।
- इन मामलों में पुलिस को साधारण कपड़ों (गैर–पुलिस वर्दी) में ही बच्चे के सामने जाने का आदेश है।
- विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखने के बाद इसे शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाया जाएगा और उसकी सहमति प्राप्त करने पर उस पर एंट्री नम्बर डाला जाएगा।
- अगर बच्चा रिपोर्ट दर्ज करे, तो उसे साधारण शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि बच्चा उसे समझ पाए या अगर रिपोर्ट ऐसी भाषा में दर्ज की गई है जो बच्चे की समझ में न आए, तो अनुवादक या दुभाषिये की मदद लेकर बच्चे को रिपोर्ट समझानी चाहिए।

- रिपोर्ट दर्ज होने पर एक मुफ्त कॉपी शिकायतकर्ता को दी जाएगी। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसे संबंधित थाने में भेजे।

5.2 मेडिकल इलाज और जांच से जुड़े अधिकार (नियम 5 और धारा 27)

यौन शोषण होने पर बच्चे को तुरंत मेडिकल इलाज पाने का अधिकार है। अगर बच्चे को बहुत चोट पहुंची हो, तो रिपोर्ट दर्ज करने से पहले भी इलाज करवाया जा सकता है। फिर केस दर्ज होने के बाद सबूत इकट्ठा करने के इरादे से बच्चे की मेडिकल जांच की जा सकती है। इस बाबत मेडिकल जांच में मेडिकल अधिकारियों व डॉक्टरों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

5.2.1 बच्चे का इलाज (धारा 5)

- मेडिकल कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चे की जरूरत और मामले की गंभीरता के अनुसार उसका तुरंत इलाज करें। इसके लिए उन्हें किसी मजिस्ट्रेट का आदेश या किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती और न ही उन्हें दस्तावेज मांगने का कोई अधिकार है।
- बच्चे को तत्काल मेडिकल देखभाल मुहैय्या कराते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उससे संबंधित जानकारी गुप्त रहे। बच्चे को मेडिकल सहायता या इलाज माता–पिता, अन्य अभिभावक या ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में उपलब्ध कराना चाहिए जिस पर बच्चा विश्वास करता हो।
- बच्चे की देखभाल करने वाले मेडिकल अधिकारियों को बच्चे के किसी भी अंग में आए चोट, यौन रोग, एच.आई.वी. का इलाज करना चाहिए और मानसिक पीड़ा के लिए काउंसिलिंग करनी चाहिए। बच्चियों के मामले में जरूरत पड़ने पर गर्भनिरोधक दवाईयां भी उपलब्ध करानी चाहिए।

5.2.2 सबूत इकट्ठा करने के लिए मेडिकल जांच (धारा 27)

- बाल यौन शोषण के मामलों में घटना घटने के 24 घंटे के अंदर मेडिकल

जांच होना जरूरी है। इस जांच से मिले सबूत न्याय पाने की लड़ाई के अहम हिस्से हैं।

- यह मेडिकल जांच सरकारी अस्पताल या स्थानीय अस्पताल में रजिस्टर्ड महिला मेडिकल कर्मचारी द्वारा की जाती है। अगर वे उपलब्ध न हों, तो किसी भी अन्य महिला मेडिकल पेशेवर द्वारा यह जांच की जा सकती है।
- मेडिकल जांच के लिए बच्चे या उसके अभिभावक की सहमति लेना जरूरी है।
- मेडिकल जांच बच्चे के माता–पिता या अन्य कोई विश्वासी व्यक्ति की मौजूदगी में पूरी संवेदनशीलता के साथ की जानी चाहिए ताकि बच्चा घबराए नहीं। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मेडिकल जांच किसी महिला काऊंसलर, मनोवैज्ञानिक या बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाले कार्यकर्ता की उपस्थिति में कराई जानी चाहिए।
- बच्चियों के मामले में मेडिकल जांच के दौरान बच्ची की योनि में दो ऊंगली वाली प्रवेशन जांच उच्चतम न्यायालय और मेडिकल दिशा–निर्देश द्वारा प्रतिबंधित है। अगर मेडिकल जांच करने में ज्यादा समय लगे, तो इसका जिक्र रिपोर्ट में करना चाहिए क्योंकि नहाने और शौच करने के कारण सबूत खत्म हो जाते हैं। मेडिकल जांच केवल एक सबूत है, यह अपने आप में केस को साबित नहीं कर सकता।

5.3 बयान देते समय और मुकदमें के दौरान बच्चों के अधिकार

इन अधिकारों को सरलता के लिए हम तीन मुख्य हिस्सों में बांटकर चर्चा करेंगे : पुलिस के सामने बयान (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161), मजिस्ट्रेट के सामने बयान (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164) और मुकदमे के दौरान बच्चे के अधिकार।

5.3.1 पुलिस के सामने बयान (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161)

अपराध की जांच के दौरान पुलिस को बच्चे का बयान रिकार्ड करते समय इन बातों पर अमल करना जरूरी है :

- जहां तक संभव हो महिला पुलिस अफसर (जिसका ओहदा सब–इंस्पेक्टर के नीचे का नहीं हो) द्वारा गैर–पुलिस वर्दी में बयान लेना चाहिए

- यह बयान बच्चे के घर पर या किसी ऐसी जगह पर रिकार्ड करना चाहिए जहां बच्चा सुरक्षित महसूस करे और बयान देना चाहे
- बयान को बच्चे की बोली गई भाषा में ही रिकार्ड करना चाहिए ताकि बयान का अर्थ न बदल जाए
- बयान बच्चे के माता–पिता या किसी विश्वासी व्यक्ति की मौजूदगी में लिया जाना चाहिए
- अगर जरूरत पड़े, तो बच्चे का बयान रिकार्ड करने में किसी अनुवादक अथवा दुभाषिये की सहायता लेनी चाहिए। अगर बच्चा शारीरिक या मानसिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, तो विशेष शिक्षाकर्मी या विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए
- जहां तक संभव हो, बच्चे के बयान की विडियोग्राफी अथवा ऑडियोग्राफी की जानी चाहिए
- अगर पुलिस को लगता है कि पीड़ित बच्चे को संरक्षण की जरूरत है, तो वह उसे 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के सामने पेश करे। बाल कल्याण समिति के सामने बच्चे द्वारा किए गए बयान को पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के बयान के रूप में रिकार्ड कर सकती है। बच्चे के बयान को दोहराने की जरूरत नहीं है।
- पुलिस बच्चे को थाने में नहीं, बल्कि बच्चे की सुरक्षा की खातिर बाल कल्याण समिति के आदेश पर बाल सुरक्षा गृह में रखेगी।

5.3.2 पुलिस की अन्य भूमिकाएं

- विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को 24 घंटे के अंदर बाल यौन शोषण के मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति और विशेष कोर्ट/सेशन्स कोर्ट को देनी चाहिए ताकि बच्चे की देखरेख और सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा सकें।
- जांच के दौरान पुलिस कभी भी बच्चे को आरोपी के संपर्क में नहीं ले जायेगी।
- पुलिस को बच्चे के माता–पिता या अन्य अभिभावक या केस से जुड़े विश्वासी व्यक्ति या सहायक व्यक्ति को केस से संबंधित निम्नलिखित बातों के बारे में

जानकारी देनी जरूरी है –

- सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली इमरजेंसी सेवा,
- फौजदारी मामले में चलने वाली प्रक्रिया
- पीड़ित को मिलने वाले मुआवजे
- आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में और आरोपी के खिलाफ दाखिल किए जाने वाले आरोप की जानकारी
- कोर्ट की कार्यवाही के दौरान उन दिनों की सूचना जब बच्चे की उपस्थिति जरूरी है
- आरोपी के जमानत, बरी होने या कैद के बारे में
- कोर्ट के फैसले को समझाना या समझने में मदद करना
- दोषी को दी गई सज़ा के बारे में जानकारी।

5.3.3 मजिस्ट्रेट के सामने बयान (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164)

- जांच समाप्त होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान कोर्ट में लिया जाता है, जो हुबहू बच्चे की भाषा में ही रिकार्ड किया जाना चाहिए।
- मजिस्ट्रेट के सामने बच्चे के बयान के समय आरोपी के वकील को कमरे में रहने की अनुमति नहीं है।
- मगर बयान के समय बच्चे के माता–पिता या कोई अन्य विश्वासी व्यक्ति तथा बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्त सहायत व्यक्ति को बच्चे के साथ मौजूद होना जरूरी है।
- बयान पर बच्चे का हस्ताक्षर भी लिया जाता है और इसकी एक कॉपी आरोपी को उपलब्ध कराई जाती है ताकि वह अपना बयान दाखिल कर पाए।
- बच्चे के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है क्योंकि बच्चे हमेशा अपना बयान याद नहीं रख पाते। उनके बयान को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है।

- मजिस्ट्रेट बच्चे या उसके माता–पिता को मामले से संबंधित कागजातों की एक कॉपी देता है, जैसे एफ.आई.आर., पुलिस की रिपोर्ट, पुलिस के सामने लिये गये बयान, मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए बयान। इसके अलावा अन्य कागजात जो पुलिस रिपोर्ट के साथ जमा की गई हो।

5.3.4 मुकदमें के दौरान पीड़ित बच्चे के अधिकार (पोक्सो की धारा 33, 34, 36, 37)

आमतौर पर फौजदारी मुकदमे में कोर्ट में पेशी के समय आरोपी और पीड़ित व्यक्ति आमने–सामने मौजूद होते हैं। इसके अलावा कोर्ट में पीड़ित व्यक्ति से सरकारी वकील और आरोपी के वकील सवाल करते हैं। आरोपी के वकील ज्यादातर सवाल करते समय कठोरता और दबाव का प्रयोग कर पीड़ित व्यक्ति को डराकर उसके बयान को कमजोर साबित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे तनाव भरे वातावरण से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पोक्सो कानून में कुछ खास प्रावधान हैं। ये प्रावधान बाल यौन शोषण के मामलों में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करता है और साथ ही विरोध व तनाव का माहौल खत्म कर बच्चे के लिए संवेदनशीलता का वातावरण तैयार करता है।

- यौन शोषण के मामलों के लिए विशेष अदालत बनाने का प्रावधान है जिसमें सुनवाई बंद दरवाजों के भीतर होती है। अगर आरोपी भी बच्चा है, तो वैसे मामले में किशोर न्याय (बालकों का देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बच्चे का बयान कोर्ट के बजाय किसी और जगह पर लिया जाना चाहिए, तो वह इसके लिए भी आदेश दे सकता है।
- सुनवाई के समय बच्चे के माता–पिता या अन्य अभिभावक या बच्चे का कोई विश्वासी व्यक्ति का साथ होना जरूरी है।
- मुकदमें के दौरान हर तारीख पर बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्त सहायक व्यक्ति का बच्चे के साथ मौजूद होना जरूरी है।
- कोर्ट में पेशी या बयान के समय यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चा आरोपी के संपर्क में न आए। इसलिए कोर्ट को 'एक तरफ से दिखने वाले शीशे', पर्दा, विडियो, आदि का उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चा आरोपी को न देख सके, मगर आरोपी को बच्चे का बयान सुनने का मौका मिले।

- मुकदमे के दौरान जो भी सवाल आरोपी का वकील बच्चे से पूछना चाहे, उसे लिखित में पहले जज को देना होगा और फिर जज द्वारा उन सवालों को संवेदनशील ढ़ंग से बच्चे से पूछा जाएगा।
- कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे के चरित्र से संबंधित कोई सवाल नहीं उठाया जाए।
- कोर्ट में बयान के दौरान बच्चे के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बच्चे को ब्रेक दिया जाएगा। कोर्ट बार–बार बयान देने के लिए बच्चे को नहीं बुलाएगा।
- अगर बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो, तो उसके बयान की रिकार्डिंग करने के लिए अनुवादक, दुभाषिये या शिक्षाकर्क्षी की मदद लेनी जरूरी है।
- कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि जांच या कोर्ट की कार्यवाही के दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रहे। बच्चे के परिवार, रिश्तेदार, पड़ोस या उनसे संबंधित हर ऐसी जानकारी को गुप्त रखना जरूरी है जिससे बच्चे की पहचान जाहिर होती हो।
- कोर्ट के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह गवाह/गवाहों के बयान 30 दिनों के अंदर ले और मामले का फैसला एक साल में करे।

5.3.5 बच्चे को राहत (पोक्सो की धारा 33 और नियम 7)

- पोक्सो में अपराध साबित होने पर सज़ा और जुर्माना निर्धारित किया जाता है, लेकिन जुर्म साबित होने पर पहले बच्चे के अंतरिम/तत्काल राहत और मुआवजा देने का प्रावधान भी है। बच्चे को हुई मानसिक और शारीरिक क्षति के आधार पर या बच्चे के पुनर्वास में होने वाले संभावित खर्च के आधार पर कोर्ट द्वारा मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है।
- विशेष कोर्ट द्वारा खुद ही या बच्चे के आवेदन पर तत्काल मुआवजे का आदेश दिया जा सकता है जिससे बच्चे के राहत या पुनर्वास से संबंधित जरूरतें पूरी की जा सकें। यह राहत एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद भी दिया जा सकता है। यह तत्काल मुआवजा आखिर में दिए जाने वाले स्थायी मुआवजे का हिस्सा है।

- अन्य परिस्थितियों में कोर्ट तत्काल मुआवजे का आवेदन कर सकता है। अगर विशेष कोर्ट को लगता है कि बच्चे को चोट या क्षति पहुंची है, तो वह खुद ही मुआवजे का आदेश दे सकता है। इसके अलावा अगर अपराधी छूट जाए या उसकी रिहाई हो जाए या पकड़ में नहीं आए या उसकी पहचान नहीं हो पाए, तो भी कोर्ट मुआवजा का आदेश दे सकता है। मुआवजे की रकम तय करते समय कोर्ट इन बातों पर ध्यान रखेगा :
  - शोषण की प्रकृति, अपराध की गंभीरता, बच्चे द्वारा झेली गई मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संभावित खर्च
  - बच्चे के स्कूल जाने पर अपराध, उससे जुड़ी जांच प्रक्रिया या इलाज के कारण शिक्षा में रुकावट
  - बच्चे का अपराधी से रिश्ता, उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी जरूरतें
  - अपराध की आवृत्ति यानी केवल एक ही बार अपराध या अनेक बार, बच्ची के मामले में गर्भधारण की स्थिति या संक्रामक यौन रोग अथवा शोषण की वजह से पैदा होने वाली किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक चुनौतियां

पोक्सो के अंर्तगत पीडित बच्चे के राहत और पुर्नवास के लिए राज्य सरकार मुआवजा योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के द्वारा मुआवजे की राशी निर्धारित करेगा। पोक्सो के अंर्तगत, किसी भी मामले में विशेष कोर्ट द्वारा तय मुआवजा देने का जिम्मा भी राज्य सरकार के ऊपर है। विशेष कोर्ट द्वारा मुआवजा तय करने के 30 दिनों के अंदर राज्य सरकार को यह मुआवजा पीड़ित बच्चे को देना होगा।

6

कानून की चंद गंभीर खामियां : बदलाव की जरूरत

भारतीय संसद ने बच्चों के संपूर्ण हित को ध्यान में रखते हुए यह कानून पारित किया था, मगर इस कानून के कुछ प्रावधान बेहद चिंताजनक हैं और कानून के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा डाल रहे हैं। इन प्रावधानों तथा उनसे जुड़े मुद्दों पर गहराई से विचार करने की और कानून में उसके अनुरूप बदलाव लाने की आवश्यकता है।

6.1 सोलह से अठारह साल की उम्र में सहमति से संबंध बनाने पर रोक

वर्ष 2012 से पूर्व बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा के लिए अलग से कोई कानून नहीं था। इसलिए ऐसे मामले उस फौजदारी कानून के तहत आते थे, जहां यौन संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र 16 साल थी। इसका मतलब यह था कि 16 साल और उससे अधिक उम्र के युवक–युवतियों की उभरती यौनिकता में फौजदारी कानून और पुलिस की भूमिका नहीं थी। इन मामलों में यौनिकता संबंधित जानकारी, जांच, काउंसिलिंग, सलाह और इलाज प्राप्त करने में कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी।

पोक्सो हर तरह के यौन संपर्क से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बच्चे की यौन सहमति को महत्व नहीं देता। नतीजतन 16 से 18 वर्ष के किशोर–किशोरियों के बीच सहमति से बनने वाला यौन संपर्क भी जुर्म हो जाता है और इस तरह जुर्म की यह निशानदेही किशोर–किशोरियों के सम्मान और विकास पर गहरी चोट करती है।

उम्र के साथ बच्चों की क्षमताओं और विकास की संभावनाओं में बदलाव आता रहता है। बच्चों की बढ़ती उम्र, क्षमताओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही समाज में उन्हें 'शिशु या बच्चे या किशोर या नाबालिग' जैसे अलग–अलग शब्दों के दायरे में लिया जाता है। यही वजह है कि बाल अधिकार संविदा में बच्चों की उभरती क्षमताओं को

मान्यता देने की बात की गई है। यौनिकता कुदरत की देन है और इसे समझने और अहसास करने की जागरुकता बढ़ती उम्र के साथ उभरती है। समाज और राज्य को इस उभरती यौनिकता के प्रति संवेदनशील होना होगा और निरंतर जागृति व सहयोग के जरिए नौजवान, बच्चे–बच्चियों को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना होगा। सज़ा का खौफ बनाना बेहद घातक परिणाम ला सकता है। इस कानून में केवल उसी यौन–संपर्क को दंडनीय बनाना चाहिए जो असहमति और हिंसा से बनाए जाते हैं।

6.2 अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने का अनदेखा परिणाम

हम इस पुस्तिका में पहले ही पोक्सो की उस धारा 21 का जिक्र कर चुके हैं जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे पर हो रहे यौन शोषण की जानकारी देने में विफल रहता है, तो उसे सज़ा हो सकती है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के सामाजिक ढांचे में यौनिकता पर एक बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है। आज भी समाज यौनिकता पर अपनी चुप्पी तोड़ना नहीं चाहता। ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे यौनिकता से जुड़ी चिंताओं के साये में आते हैं, तो वे अक्सर उन लोगों, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, मनोचिकित्सक, समाज सेवक या अन्य कोई विशेषज्ञ से ही अपनी चिंता साझा करते हैं, जिन्हें वे बेहद भरोसेमंद मानते हैं। धारा 21 के तहत इनसभी व्यक्तियों पर कानूनी जिम्मेदारी है कि वे ऐसे मामले की रिपोर्ट करें। यह बच्चे के प्रति विश्वासघात करने का माहौल बनाता है। जब बच्चों का भरोसा टूटता है, तो उन्हें गंभीर चोट पहुंचती है और यह सब उनके हित व कल्याण के खिलाफ जाता है। यह पेशागत विशेषज्ञता और नैतिकता के खिलाफ भी जाता है। इस कानून को डॉक्टर, काउंसलर, मनोचिकित्सक और शिक्षकों की पेशेवर नैतिकता तथा गोपनीयता को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें बच्चों के विश्वास का केंद्र बनने देना चाहिए क्योंकि ऐसा बनकर ही वे बच्चों के समग्र विकास में अपना योगदान दे पायेंगे।

6.3 झूठी रिपोर्ट करने के परिणाम

कानून के इस प्रावधान का सही उपयोग करने के लिए कोर्ट को झूठी शिकायत और शिकायत को साबित नहीं कर पाने के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इस

प्रावधान में यह स्पष्ट नहीं है कि अगर बच्चा किसी वजह अपने ऊपर हुए यौन शोषण से मुकरता है, तो क्या शिकायकर्ता दंडित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि लोग ऐसी घटनाओं की जानकारी रखते हुए भी उसकी रिपोर्ट न करें।

हम मानते हैं कि सरकार ने नौजवान बच्चे–बच्चियों की यौनिकता के मुद्दे को सकारात्मक रूप में लेने और समाज में इस पर व्यापक विमर्श कराए बगैर इसे अपराध घोषित कर एक समस्या का रूप दे दिया है। साथ ही अनिवार्य रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी और झूठी रिपोर्ट का डर पैदाकर समाज को भी इस समस्या का हिस्सा बना दिया है।

अनुबंध 1

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
(2012 का 32)

(19 जून, 2012)

लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (3) अन्य बातों के साथ राज्य के बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है;

संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों से संबंधित सम्मेलन में अंगीकार किए गए प्रस्ताव, जिसमें बालक के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित किया गया है, उसे भारत सरकार द्वारा तारीख 11 दिसम्बर, 1992 को स्वीकार किया गया है;

बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से सम्मान करते हुए तथा किसी न्यायिक प्रक्रिया के सभी उपायों और सभी प्रक्रमों के माध्यम से बालकों को अंतर्वलित करते हुए संरक्षण किया जाए;

यह आवश्यक है कि विधि ऐसी रीति में प्रवर्तित हो जिससे कि प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को अधिक महत्व दिया जाए और बालक के शारीरिक स्वास्थ्य, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके;

बालक के अधिकारों पर हुए सम्मेलन के राज्य पक्षकारों को यह भार अपने ऊपर लेना अपेक्षित है कि सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपायों द्वारा, –

(क) किसी बालक को किसी विधि विरूद्ध लैंगिक क्रियाकलाप के उत्पीड़न या उत्प्रेरणा से;

(ख) वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरूद्ध लैंगिक व्यवसाय में बालक के शोषण से;

(ग) अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों से बालकों के शोषणात्मक उपयोग का निवारण करें;

बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरूपयोग जघन्य अपराध है, और उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाए।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम होः–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो धारा 5 में हैं;

(ख) "गुरूतर लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो धारा 9 में है;

(ग) "सशस्त्र बल या सुरक्षा बल" से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है;

(घ) "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है, अभिप्रेत है;

(ड़) "घरेलू संबंध" का वही अर्थ है जो घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम, 2005, (2005 का 43) के खंड 2 (च) में है;

(च) "प्रवेशन लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो धारा 3 में है;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "धार्मिक संस्था" से उसका वही अर्थ है जा धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) में है;

(झ) "लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो धारा 7 में है;

(ञ) "लैंगिक उत्पीड़न" का वही अर्थ है जो धारा 11 में है;

(ट) "साझी गृहस्थी" से ऐसी गृहस्थी, जहाँ अपराध से आरोपित व्यक्ति या किसी प्रक्रम पर बालक के साथ घरेलू संबंधी के रूप में रहा है, अभिप्रेत है;

(ठ) "विशेष न्यायालय" से धारा 28 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय अभिप्रेत है;

(ड) "विशेष लोक अभियोजक" से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियम में हैं।

अध्याय 2
बालकों के विरूद्ध लैंगिक अपराध

क – प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

3. प्रवेशन लैंगिक हमला – कोई व्यक्ति "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है यदि वह–

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुँह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

4. प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड – जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ख – गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

5. गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला –

(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर –

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहाँ उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ii) किसी थाने के परिसर, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जहाँ उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iv) जब वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की जाए; या

(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,–

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहाँ वह व्यक्ति तैनात है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ii) बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन क्षेत्रों में, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iv) जहाँ सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात या पहचाना गया उक्त व्यक्ति, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह (रिमांड होम), संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित देखरेख और संरक्षण के किसी स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृन्द ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई किसी अस्पताल, चाहे, सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद, होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(च) जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(छ) जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

स्पष्टीकरण – जहाँ किसी बालक पर, कि एक या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा उसके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए लैंगिक हमला किया गया है वहाँ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत गैंग प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उस रीति मे दायी होगा जैसे कि वह कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया था; या

(ज) जो कोई घातक आयुध, आग्नेयास्त्र, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(झ) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करके किसी बालक को घोर उपहति कारित करता है या उसके/उसकी जननेंद्रियों को शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति पहुँचाता है; या

(ञ) जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे,–

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंण्ड (ठ) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ह्रास कारित करता है जिससे बालक कार्य करने में अयोग्य हो जाता है; या

(ii) बालिका की दशा में, वह लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप, गर्भवती हो जाती है;

(iii) बालक को ह्यूमन इम्युनोडेफिसियन्सी वाइरस या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से स्थायी या अस्थायी रूप से ग्रस्त कर देता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नित्य प्रतिदिन का काम करने के लिए मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थाई या स्थाई रूप से ह्रास कर सकता है; या

(ट) जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्तता का लाभ उठाकर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;

(ठ) जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ढ) जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता या पोषण करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलू संबंध या बालक के साथ साझे गृहस्थ में रहते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ण) जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(त) जो कोई किसी बालक का न्यासी या प्राधिकारी की स्थिति में होते हुए किसी संस्था या बालक के गृह या कहीं और बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(थ) जो कोई यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(द) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयास करता है; या

(ध) सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(न) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिये या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(प) जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा करता है या नंगा करके प्रदर्शन करता है;

उसके द्वारा गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

6. गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड – जो कोई गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ग. – लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

7. लैंगिक हमला – जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों का छूता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई

अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

8. लैंगिक हमले के लिए दंड – जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

घ.– गुरूतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

9. गुरूतर लैंगिक हमला –

(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर –

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहाँ उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ii) किसी थाने के परिसर चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जहाँ उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iv) जहाँ कोई पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात या पहचाना गया व्यक्ति, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ख) कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,–

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहाँ वह व्यक्ति तैनात है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ii) बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन क्षेत्रों में, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iv) जहाँ सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात या पहचाना गया व्यक्ति, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह (रिमांड होम), संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित देखरेख और संरक्षण के किसी स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है ; या

(च) जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(छ) जो कोई बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;

स्पष्टीकरण – जहाँ किसी बालक पर, कि एक या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए लैंगिक हमला किया गया है वहाँ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस उपधारा के अर्थांतर्गत गैंग लैंगिक हमला कारित किया जाना समझा जाएगा औार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उस रीति में दायी होगा जैसे कि वह कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया था; या

(ज) जो कोई बालक पर घातक आयुध, आग्नेयास्त्र, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(झ) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करके किसी बालक का घोर उपहति कारित करता है या उसके/उसकी जननेंद्रियों को शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति, जिसमें क्षति सम्मिलित है, पहुँचाता है; या

(ञ) जो कोई किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है जो–

(i) बालक को शारीरिक रूप से अशक्त कर देता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) के

अधीन यथापरिभाषित मानसिक रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ह्रास कारित करता है जिससे बालक कार्य करने में अयोग्य हो जाता है;

(ii) बालक को ह्यूमन इम्युनोडेफिसियन्सी वायरस या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त कर देता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नित्य प्रतिदिन का काम करने के लिए मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थाई या स्थाई रूप से ह्रास कर सकता है; या

(ट) जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्तता का लाभ उठाकर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;

(ठ) जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ढ) जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह संरक्षकता या पोषण करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलू संबंध या बालक के साथ साझे गृहस्थ में रहते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ण) जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(त) जो कोई किसी बालक का न्यासी या प्राधिकारी की स्थिति में होते हुए किसी संस्था या बालक के गृह या कहीं और बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(थ) जो कोई यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(द) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयास करता है; या

(ध) सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(न) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(प) जो कोई बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा करके प्रदर्शन करता है;

उसके द्वारा गुरूतर लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

10. गुरूतर लैंगिक हमले के लिए दंड – जो कोई गुरूतर लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ङ:– लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड

11. लैंगिक उत्पीड़न – किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न किया गया है जब ऐसा व्यक्ति –

(i) लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है या ध्वनि या अंग विपेक्ष करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित इस आशय के साथ करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाए; या

(ii) लैंगिक आशय से उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बालक को अपने शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहता है;

(iii) अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है; या

(iv) बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रानिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार–बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क बनाता है; या

(v) बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को लैंगिक कृत्य में अंतर्वलित इलेक्ट्रानिक फिल्म या अंकीय या अन्य किसी रीति के माध्यम से वास्तविक या बनावटी तस्वीर खींचकर मीडिया का किसी भी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है।

(vi) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है।

स्पष्टीकरण – "लैंगिक आशय" में अंतर्वलित कोई प्रश्न तथ्य का प्रश्न होगा।

12. लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड – जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

अध्याय 3
अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड

13. अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग – जो कोई किसी बालक का उपयोग मीडिया (जिसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों या विज्ञापन या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक प्ररूप या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं) के किसी प्ररूप में लैंगिक परितोषण, जिसके अंतर्गत –

(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन;

(ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों (प्रवेशन के साथ या बिना) में करना;

(ग) किसी बालक का आशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन है;

वह किसी बालक का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण – इस के प्रयोजनों के लिए "किसी बालक का उपयोग" पद के

अंतर्गत मुद्रण, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर या अन्य तकनीक के किसी माध्यम से अश्लील साहित्य तैयार, उत्पादन, प्रस्तुत, प्रसारित, सुकर और वितरण करने के लिए किसी बालक को अंतर्वलित करना है।

14. अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करना – (1) जो कोई अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करता है दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की होगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(2) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा।

(3) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 5 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह कठोर आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा।

(4) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 7 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आठ वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा।

(5) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि आठ वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा।

15. बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाला अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड – कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले किसी भी रूप में अश्लील सामग्री को भंडारित करता है, वह किसी भी प्रकार के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाऐगा।

अध्याय 4
दुष्प्रेरण और किसी अपराध को कारित करने का प्रयास

16. किसी अपराध का दुष्प्ररेण – कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो–

पहला– उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा– उस अपराध को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड़यंत्र के अनुसरण में, और उस अपराध को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा

तीसरा– उस अपराध के लिए किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1 – कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी अपराध का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस अपराध का किया जाना उकसाता है।

स्पष्टीकरण 2 – जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है उस कार्य के किए जाने में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 3 – जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी, अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी या बल प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य माध्यम से, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरूपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने का प्रयोग या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाली किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के फायदों के माध्यम से भर्ती परिविहित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त करता है उसको उस कार्य के करने में सहायता करना कहा जाता है।

17. दुष्प्रेरण के लिए दंड – जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्ररेण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।

स्पष्टीकरण – कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप तब किया गया कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड़यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

18. किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड – जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने के लिए कोई कार्य करता है वह अपराध के लिए उपबंधित किसी प्रकार के किसी ऐसी अवधि के कारावास से जो यथास्थिति, आजीवन कारावास के आधे तक का हो सकेगा या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

अध्याय 5
मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया

19. अपराधों की रिपोर्ट करना – (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत बालक भी हैं) जिसे यह आंशका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की

संभावना है या यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगाः –

(क) विशेष किशोर पुलिस यूनिट; या

(ख) स्थानीय पुलिस ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में –

(क) एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्ध की जाएगी;

(ख) सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी;

(ग) पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी गई है, उसे उपधारा (2) के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा जिससे कि बालक अभिलिखित की जा रही अंतर्वस्तु को समझ सके।

(4) उस दशा में जहाँ बालक द्वारा नहीं समझी जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है वहां बालक को यदि वह उसे समझने में असफल रहता है कोई अनुवादक या कोई दुभाषिया जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए जब कभी आवश्यक समझा जाए उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो गया है कि वह बालक जिसके विरूद्ध कोई अपराध किया गया है, उसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तब वह कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् उसे यथाविहित रिपोर्ट के चौबीस घंटे के भीतर तुरंत ऐसी देखरेख और संरक्षण में (जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी है) रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(6) विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना परन्तु चौबीस घंटे की अवधि के भीतर मामले को बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहाँ कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं किया गया है वहाँ सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत बालक की

देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी हैं।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सद्भावना में जानकारी देने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा।

20. मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता – मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में लाए बिना किसी सामग्री या वस्तु जो किसी माध्यम के उपयोग से, किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है (जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालिका के अश्लील प्रदर्शन करना भी है) यथास्थिति, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा।

21. मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड – (1) कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा (1) या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है या जो धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहता है, वह किसी भी प्रकार के कारावास से जो, छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) किसी कंपनी या किसी संस्था (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का भारसाधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होंगे।

22. मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड – (1) कोई व्यक्ति जो धारा 3, धारा 5, धारा 7 और 9 के अधीन पर किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसे अवमानित करने, उद्यापित करने या धमकाने या बदनाम

करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करता है या कोई सूचना उपलब्ध कराता है, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) जहाँ किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(3) जो कोई बालक नहीं है, किसी बालक के विरूद्ध कोई मिथ्या परिवाद करता है या मिथ्या सूचना उसे मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराता है जिससे ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित होता वह ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

23. मीडिया के लिए प्रक्रिया – (1) कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई टीका–टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसका प्रतिष्ठा हनन या उसकी गोपनीयता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो।

(2) किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट नहीं करेगी जिससे बालक की पहचान का प्रकटन अग्रसरित होता हो :

परन्तु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकरण के लिए अनुज्ञात कर सकेगी यदि उसकी राय में ऐसा प्रकरण, बालक के हित में है।

(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी संयुक्त रूप और पृथक् रूप से अपने कर्मचारी के किसी कार्य और लोप के लिए दायी होगी।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधो का उल्लंघन करता है किसी भी प्रकार के कारावास से, जो छह मास से अन्यून नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

अध्याय 6
बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया

24. बालक के कथन का अभिलिखित किया जाना – (1) बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहाँ वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और जहाँ तक संभव हो, उप–निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

(2) बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा।

(3) अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी, बालक का परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समय पर बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के संपर्क में न आए।

(4) किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरूद्ध नहीं किया जाएगा।

(5) पुलिस अधिकारी तब तक यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से संरक्षित है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित न किया गया हो।

25. मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन – (1) यदि बालक का कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) (जिसे इसमें पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया है तो ऐसे कथन का अभिलेखन मजिस्ट्रेट, उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगाः

परंतु संहिता की धारा 164 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध,

जहाँ तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है, इस मामले में लागू नहीं होगा।

(2) मजिस्ट्रेट, बालक और उसके अभिभावकों या प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति, उस संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर, प्रदान करेगा।

26. अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध – (1) यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक के माता–पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की, जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है, उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा।

(2) जहाँ आवश्यक है, वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी दुभाषिए जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

(3) यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

(4) जहाँ आवशयक है, वहां यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए।

27. बालक की चिकित्सीय परीक्षा – (1) उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164क के अनुसार संचालित की जाएगी।

(2) यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी।

(3) चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता–पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता हो।

(4) जहाँ उपधारा (3) में निर्दिष्ट बालक के माता–पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सा जांच के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सा जांच, चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी।

अध्याय 7
विशेष न्यायालय

28. विशेष न्यायालयों को पदाभिहित किया जाना – (1) त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को जो एक विशेष न्यायालय होगा, पदाभिहित करेगी:

परन्तु यदि कोई सेशन न्यायालय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए अभिहित बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है, तब ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का {उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न} विचारण भी करेगा जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1972 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय को, सूचना प्रौद्योगिकी

अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67ख के अधीन अपराधों का, जहाँ तक वे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति में बालक को चित्रित करने वाली लैंगिक सुस्पष्ट करने वाली सामग्री के प्रकाशन या पारेषण से संबंधित है, या बालक का आनलाईन दुरूपयोग सुकर बनाते हैं, विचारण की अधिकारिता होगी।

29. कतिपय अपराधों के बारे में उपधारण – जहाँ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्ररेण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं हो जाता।

30. आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा – (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त के पक्ष पर आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियक्त संदेह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण – इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अंतर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास किए जाने का कारण भी है।

31. विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना – इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध (जमानत और बंधपत्र के संबंध में उपबंधों सहित) किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय किसी सेशन न्यायालय को समझा जाएगा

तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति, लोक अभियोजक समझा जाएगा।

32. विशेष लोक अभियोजक – (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केवल मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि वह किसी अधिवक्ता के रूप में सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए व्यवसाय में रहा हो।

(3) इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा और इस संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

अध्याय 8
विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन

33. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ – (1) कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का, ऐसे अपराध गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकेगा।

(2) यथास्थिति, विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला काउंसेल बालक की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, या पुनर्परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्न विशेष न्यायालय का संसूचित करेगा जो पुनः उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा।

(3) विशेष न्यायालय, यदि वह आवश्यक समझे, विचारण के दौरान बालक के लिए बार–बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) विशेष न्यायालय, बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या

नातेदार की, जिसमें बालक अपना भरोसा रखता है, न्यायालय में उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा।

(5) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में परीक्षण के लिए बार–बार नहीं बुलाया जाएगा।

(6) विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय बालक की गरिमा बनाए रखी जाए।

(7) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण, के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की गई है :

परंतु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, बालक की पहचान में बालक के कुटुंब, विद्यालय, नातेदार, पड़ोसी की पहचान या कोई अन्य सूचना जिसके द्वारा बालक की पहचान का पता चल सके सम्मिलित होंगे।

(8) समुचित मामलों में विशेष न्यायालय बालक के लिए उसे कारित किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए किसी दंड के अतिरिक्त, प्रतिकर के ऐसे संदाय, जो विहित किया जाए या ऐसे बालक के तुरंत पुनर्वास के लिए निदेश दे सकेगा।

(9) विशेष न्यायालय के पास इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी और ऐसे अपराध का विचारण इस प्रकार करेगा, मानो वह सेशन न्यायालय हो, और यथासंभव सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

34. बालक द्वारा किसी अपराध के घटित होने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारणा करने की दशा में प्रक्रिया – (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है वहाँ ऐसे बालक पर किशोर न्याय

(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 02) के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठाता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नही ंतो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् किया जाएगा और वह ऐसे अवधारण के लिए उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(3) विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश मात्र पश्चात्वर्ती इस सबूत के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा यथाअवधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी।

35. बालक की साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि – (1) बालक की साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के तीस दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए, यदि कोई हो, विशेष न्यायालय द्वारा कारण अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विचारण को पूरा करेगा।

36. प्रमाणित करते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना – (1) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य के अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया है, जब कि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता को सूचित करने की स्थिति में है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय बालक का कथन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य या पर्दा या ऐसी ही अन्य युक्ति का उपयोग करके अभिलिखित कर सकेगा।

37. विचारण का बंद कमरे में संचालन – विशेष न्यायलय मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता–पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा, जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है :

परंतु जहाँ विशेष न्यायालय की यह राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है, वहाँ वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 284 के उपबंधों के अनुसरण में कमीशन निकालने के लिए कार्यवाही करेगा।

38. बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषिया या विशेषज्ञ की सहायता लेना – (1) जब कभी आवश्यक हो, न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी ऐसे अनुवादक या दुभाषिए, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

(2) यदि बालक मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो विशेष न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए उस क्षेत्र में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संर्पक की रीति से सुपरिचित कोई व्यक्ति या उस क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

अध्याय 9
प्रकीर्ण

39. विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश – राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं और गैर–सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है, बालक को सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम पर सहयोजित करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार करेगी।

40. विधि व्यवसायी की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 301 के परंतुक के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसेल की सहायता लेने के लिए हकदार होंगे :

परंतु बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसेल का व्यय उठाने में असमर्थ है तो विधिक सहायता प्राधिकरण उन्हें वकील उपलब्ध कराएगा।

41. कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू न होना – धारा 3 से धारा 13 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार के मामले में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार उसके माता–पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों।

42. आनुकल्पिक दण्ड – जहाँ किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 166क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन भी दण्डनीय कोई अपराध गठित होता है वहाँ, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मात्रा में गुरूतर है।

42क. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना – इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधो का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा।

43. अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता – केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि –

(क) साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता–पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी सम्मिलित हैं, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों (जिनमें पुलिस अधिकारी सम्मिलित हैं) को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर आवधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

44. अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरी – (1) यथास्थिति, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग या धारा 17 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग, उस अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के निष्पादन के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधो के क्रियान्वयन की मानीटरी ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, करेंगे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियाँ होंगी जो उन्हें बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधि ानियम, 2005 (2006 का 4) के अधीन निहित की गई हैं।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन अपने कार्यकलापों में, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट को शामिल करेंगे।

45. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टयता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में सभी या किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 19 की उपधारा (4); धारा 26 की उपधारा (2) और उपधारा (3) और धारा 38 के अधीन किसी अनुवादक या दुभाषिए या किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क करने की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की अर्हताएं और अनुभव तथा संदेय फीस;

(ख) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन बालक की देखभाल और संरक्षण तथा आपात चिकित्सा उपचार;

(ग) धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन प्रतिकर का संदाय;

(घ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के उपबंधों की आवधिक मानीटरी की रीति।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंद्ध कर सकेगी, जो उसे कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों :

परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची
{धारा 2 (ग) देखें }

निम्नलिखित के अधीन गठित सशस्त्र बल और सुरक्षा बल

(क) वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45);

(ख) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46);

(ग) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47);

(घ) बंबई होमगार्ड अधिनियम, 1947;

(ड) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47);

(च) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50);

(छ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66);

(ज) तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30);

(झ) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25);

(ञ) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35);

(ट) नौ–सेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62);

(ठ) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34);

(ड) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद अधिनियम, 1986 (1986 का 47);

(ढ) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23);

(ण) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53);

(त) विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 (1988 का 34);

(थ) प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56);

(द) राज्य की सिविल बलों की सहायता करने के लिए और आंतरिक अशांति के दौरान दलों को नियोजित करने के लिए सशक्त बनाने हेतु या अन्यथा उनके अंतर्गत सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 2 के खंड (क) में यथा पारिभाषित सशस्त्र बल भी हैं के राज्य विधियों के अधीन गठित राज्य पुलिस बल (जिसके अंतर्गत सशस्त्र कांस्टेबुलरी भी हैं)।

अनुबंध 2

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012

महिला और बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना क्रमांक सा. का. नि. 823 (अ) दिनांक 14 नवम्बर, 2012– केंद्रीय सरकार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2012 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,–

   (क) "अधिनियम" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत है ;

   (ख) "जिला बाल संरक्षक एकक" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 62क के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला बाल संरक्षक एकक अभिप्रेत है ;

   (ग) "विशेषज्ञ" से मानसिक स्वास्थ्य, औषधि, बाल विकास या अन्य संबंधित शाखा में प्रशिक्षित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे किसी ऐसे बालक के साथ, जिसकी उपाघात, निःशक्तता या किसी अन्य भेद्यता द्वारा संसूचित करने की योग्यता प्रभावित हो गई है, संपर्क को सुकर बनाने की अपेक्षा की जाए ;

   (घ) "विशेष शिक्षक" से विशेष आवश्यकताओं वाले बालको के साथ किसी बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं और आवश्यकताओं का, जिससे अंतर्गत

नोटः– किशोर न्याय अधिनियम, 2000 का निरसन हो गया है इसके स्थान पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 दिनांक 15.1.2016 से प्रभावी हुआ है। चूंकि पोक्सो नियमों में पुराने अधिनियम का हवाला दिया गया है अतः जहां कहीं भी पुराने अधिनियम की धारा का उल्लेख है उसे नए अधिनियम की धारा के अनुसार पढ़ा जाए।

विद्धता और संसूचना, भावात्मक और व्यवहारिक विकारों, शारीरक निःशक्तता और विकासात्मक विकारों की चुनौतियां भी है, पता लगाने की दृष्टि से संपर्क करने में प्रशिक्षित व्यक्ति अभिप्रेय है ;

(ड) "बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित व्यक्ति" से किसी बालक के माता–पिता या कुटुंब का सदस्य या उसकी सांझी गृहस्थी का कोई सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता है, जो बालक की अद्वितीय संपर्क रीति से सुपरिचित होता है और जिसकी उपस्थिति बालक के साथ अधिक प्रभावी संपर्क के लिए अपेक्षित या सहायक हो सकेगी;

(च) "सहायक व्यक्ति" से बाल कल्याण समिति द्वारा नियम 4 के उपनियम (8) के अनुसार बालक को अन्वेषण और विचारण की प्रकिया के माध्यम से सहायता देने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति या अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत विचारण–पूर्व या विचारण प्रक्रिया में बालक को सहायता करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) उन अन्य शब्दों या पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके है।

3. दुभाषिया, अनुवादक और विशेष शिक्षक – (1) प्रत्येक जिले में बाल सरंक्षण एकक, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों के नाम, पते और अन्य संपर्क ब्यौरों के साथ एक रजिस्टर रखेगा और यह रजिस्टर विशेष किशोर पुलिस यूनिट (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'एस.जे.पी.यू.' कहा गया है), स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायलय के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, उपलब्ध रहेगा।

(2) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4), धारा 26 की उपधारा (3) और उपधारा (4) और धारा 38 के प्रयोजनों के लिए नियुक्त दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों की अर्हताएं और अनुभव वह होगा, जो इन नियमों में उपदर्शित किया जाए।

(3) जहां किसी दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक की उपनियम (1) के अधीन जिला बाल कल्याण एकक द्वारा अनुरक्षित सूची से भिन्न, नियुक्ति की जाती है, वहां इस नियम के उप नियम (4) और उप नियम (5) के अधीन विहित अपेक्षाओं को सुसंगत अनुभव के साथ या औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण या दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक द्वारा सुसंगत भाषाओं में प्रदर्शित धारा प्रवाहिता के सबूत के आधार पर, जिला बाल कल्याण एकक, विशेष न्यायालय या अन्य संबंधित प्रधिकरण के समाधानप्रद रूप में शिथिल किया जा सकेगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त दुभाषिए या अनुवादक को किसी बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा और राज्य की राजभाषा से, या तो ऐसी भाषा उसकी मातृभाषा होने के परिणामस्वरूप या कम से कम प्राथमिक स्तर तक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम होने के परिणामस्वरूप या दुभाषिए या अनुवादक द्वारा उसके व्यवसाय या वृत्ति या उस क्षेत्र में, जहां वह भाषा बोली जाती है, निवास स्थान होने के कारण अर्जित ज्ञान के परिणामस्वरूप कार्यात्मक रूप से सुपरिचित होना चाहिए।

(5) उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए संकेतभाषा दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय सुधार परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से संकेत भाषा या विशेष शिक्षा में अथवा किसी विशेषज्ञ की दशा में सुसंगत शाखा में सुसंगत अर्हताएं होनी चाहिए।

(6) ऐसे दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ की सेवाओं के लिए, जिनका नाम उपधारा (1) के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में या अन्यथा प्रविष्ट किया जाता है, भुगतान, राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 61 के अधीन अनुरक्षित निधि से या जिला बाल संरक्षण एकक के नियंत्रणाधीन अन्य निधियों से, उनके द्वारा अवधारित दरों पर और ऐसे प्रारूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित करे, अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर किया जाएगा।

(7) पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन सूचना की तारीख

के पश्चात्, दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ के लिंग के बारे में बालक द्वारा व्यक्त की गई किसी अधिमानता पर विचार किया जा सकेगा और जहां आवश्यक हो, वहां एक से अधिक ऐसे व्यक्ति को, बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।

(8) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नियुक्त दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक विशेषज्ञ या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित व्यक्ति निष्पक्ष और समदर्शी होगा और किसी वास्तविक या विदित हित विरोध को प्रकट करेगा। वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 282 के अनुसार किन्हीं परिवर्धन या लोप के बिना पूर्ण और यथार्थ निर्वचन या अनुवाद करेगा।

(9) विशेष न्यायालय, धारा 38 के अधीन कार्यवाहियों में यह सुनिश्चित करेगा कि क्या बालक पर्याप्त रूप से न्यायालय की भाषा बोलता है या नहीं और किसी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित अन्य व्यक्ति, जिसे बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, की नियुक्ति में कोई हित विरोध तो अंतर्वलित नहीं है।

(10) अधिनियम या उसके नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 126 के साथ पठित धारा 127 के अधीन यथा वर्णित गोपनीयता के नियम से आबद्ध होगा।

4. देखरेख और संरक्षण – (1) जहाँ किसी एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस को किसी से जिसके अंतर्गत बालक भी है, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कोई भी सूचना प्राप्त होती है वहां ऐसी सूचना की रिपोर्ट प्राप्त करने वाली एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित ब्यौरे प्रकट करेगी :–

(i) उसका नाम और पदनाम;

(ii) पता और दूरभाष नंबर;

(iii) उस अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क ब्यौरे जो सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी का पर्यवेक्षण करता है।

(2) जहाँ, यथास्थिति, किसी एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या, स्थानीय पुलिस को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में किसी ऐसे अपराध की बाबत जो किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है या जिसका किया जाना संभाव्य है, की सूचना प्राप्त होती है वहां संबंधित प्राधिकारी, जहाँ लागू हों, –

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के उपबंधों के अनुसार प्रथम इत्तला रिपोर्ट अभिलिखित और रजिस्ट्रीकृत करने के लिए जाएगा और संहिता की धारा 154 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसी रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को उसकी एक प्रति मुफ्त देगा;

(ख) जहाँ बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन या इन नियमों के अधीन यथावर्णित आपात चिकित्सा देखरेख की आवश्यकता है वहां बालक की नियम 5 के अनुसरण में ऐसी देखरेख करवाने की व्यवस्था करेगा;

(ग) बालक को अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में चिकित्सा प्रक्रिया के लिए अस्पताल ले जाऐगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालयिक जांच के लिए एकत्रित नमूने शीघ्रातिशीघ्र न्यायालयिक प्रयोगाशाला में भेज दिए गए हैं;

(ङ) बालक और उसके माता–पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को सहायक सेवाओं, जिसमें मंत्रणा भी है, की प्राप्यता के बारे में सूचना देगा और उनकी ऐसी व्यक्ति से संपर्क करने में सहायता करेगा जो ऐसी सेवाएं और अनुतोष देने के लिए उत्तरदायी है;

(च) बालक और उसके माता–पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को अधिनियम की धारा 40 के अनुसरण में बालक को विधिक सलाह का अधिकार और परामर्शी और किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार के बारे में सूचना देगा।

(3) जहाँ एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होती है और यह युक्तियुक्त आशंका है कि बालक के साथ उसी या साझी गृहस्थी में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है या किया जाना संभाव्य है या बालक किसी बाल देखरेख संस्था में रह रहा है और माता–पिता की सहायता के बिना है या बालक किसी भी गृह या माता–पिता की सहायता के बिना पाया गया है तो संबंधित एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी द्वारा ब्यौरेवार निर्धारण के अनुरोध सहित जिसमें लिखित में दिए जाने वाले ऐसे कारण भी होंगे कि क्या बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, बालक को बाल कल्याण समिति (जिसमें इसमें इसके पश्चात् "सीडब्ल्यूसी" कहा गया है) के समक्ष पेश करेगी।

(4) उपनियम (3) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर संबंधित सीडब्ल्यूसी को स्वप्ररेणा से या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों के अनुसरण में तीन दिन के भीतर यह अवधारण करने के लिए अग्रसर होना चाहिए कि क्या बालक को उसके कुटुंब या साझी गृहस्थ की अभिरक्षा से अलग ले जाने और उसे किसी बालगृह या आश्रयगृह में रखने की आवश्यकता है।

(5) उपनियम (4) के अधीन अवधारणा करते समय सीडब्ल्यूसी बालक द्वारा अभिव्यक्त किसी भी अधिमान या राय के साथ ही साथ बालक के सर्वोत्तम हित पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा :–

(i) बालक की तुरंत देखरेख और संरक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जिसके अंतर्गत चिकित्सीय आवश्यकताएं और मंत्रणा भी हैं, माता–पिता या माता या पिता या कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, की समर्थता ;

(ii) बालक की उसके माता–पिता, कुटुंब और विस्तृत कुटुंब में रहने की आवश्यकता और उनके साथ संबंध बनाए रखना ;

(iii) बालक की आयु और परिपक्वता का स्तर, लिंग और सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि :

(iv) बालक की निःशक्तता, यदि कोई हों :

(v) ऐसी कोई भी दीर्घकालिक रूग्णता जिससे बालक ग्रस्त हो सकता है ;

(vi) बालक या बालक के कुटुंब के किसी सदस्य को अंतर्वलित करने वाली कौटुंबिक हिंसा का कोई इतिहास ; और

(vii) कोई अन्य सुसंगत कारण जो बालक के सर्वोत्तम हित पर प्रभाव डालता हो :

परंतु ऐसा अवधारण किए जाने के पूर्व एक जांच ऐसे रूप में की जाएगी जिससे बालक को अनावश्यक रूप से कोई क्षति या असुविधा नहीं हो।

(6) बालक और उसके माता–पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है और जिनके साथ बालक रह रहा है जो कि ऐसे अवधारणा से प्रभावित हुआ है, को यह सूचना दी जाएगी कि ऐसे अवधारण पर विचार किया गया है।

(7) सीडब्ल्यूसी, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या उपनियम (5) के अधीन अपने निर्धारण के आधार पर और बालक और उसके माता–पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, की सहमति से अन्वेषण और विचारण की प्रक्रिया के माध्यम से बालक की सहायता करने के लिए एक सहायक व्यक्ति की व्यवस्था कर सकेगी। ऐसा सहायक व्यक्ति बाल अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या संगठन या बाल गृह या बालक की अभिरक्षा रखने वाले आश्रयगृह का कोई पदधारी या डीसीपीयू द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति हो सकेगा :

परंतु इन नियमों की कोई बात बालक और उसके माता–पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहायता मांगने से नहीं रोकेगी।

(8) सहायक व्यक्ति हर समय बालक से संबंधित सभी सूचनाओं, जिन तक उसकी पहुंच है, की गोपनीयता बनाए रखेगा। वह बालक और उसके माता–पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, मामले की कार्यवाहियों के बारे में सूचित करता रहेगा जिसके अंतर्गत उपलब्ध सहायता, न्यायिक प्रक्रियाएं और संभावी परिणाम भी हैं, वह बालक को न्यायिक प्रक्रिया में उसके द्वारा की जा सकने वाली भूमिका के बारे में भी सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बालक से संबंधित उसकी अभियुक्त से सुरक्षा और वह रीति जिस पर वह अपना परिसाक्ष्य देना चाहेगा, के बारे में सुसंगत प्रधिकारियों को बताएगा।

(9) जहां बालक को कोई सहायक व्यक्ति दिया गया है, वहां एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस ऐसे समनुदेशन करने के 24 घंटे के भीतर लिखित में विशेष न्यायालयों को सूचना देगा।

(10) सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति), बालक और उसके माता–पिता या संरक्षक या उस व्यक्ति के, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, अनुरोध पर सहायक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर सकेगा और ऐसा अनुरोध करने वाले बालक से ऐसे अनुरोध के लिए कोई भी कारण देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। विशेष न्यायालय को ऐसी सूचना लिखित में दी जाएगी।

(11) एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस का बालक और उसके माता–पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति की, जिस पर बालक का विश्वास और भरोसा है और जहां सहायक व्यक्ति समनुदेशित किया गया है वहां ऐसे व्यक्ति को मामले की प्रगति के बारे में सूचना देने का उत्तरदायित्व होगा जिसके अंतर्गत अभियुक्त की गिरफ्तारी, फाइल किए गए आवेदन और अन्य न्यायालयिक कार्यावाहियां भी हैं।

(12) एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट), स्थानीय पुलिस, या सहायक व्यक्ति, द्वारा बालक और उसके माता–पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को दी जाने वाली सूचना में निम्नलिखित हैं किन्तु निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं :–

(i) लोक और निजी आपात और संकटावस्था सेवाओं की उपलब्धता;

(ii) किसी दांडिक अभियोजन में अतंर्वलित प्रक्रियात्मक कदम;

(iii) पीड़ित के प्रतिकर फायदों की प्राप्यता;

(iv) अपराध के अन्वेषण की प्रास्थिति, जहां तक उसकी सूचना पीड़ित को देना उपुयक्त है और जहां तक इससे अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं होगा ;

(v) किसी संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी;

(vi) किसी संदिग्ध अपराधी के विरुद्ध आरोप फाइल करना;

(vii) न्यायालयिक कार्यवाहियों की समयानुसूची जिस पर या तो बालक के उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है या वह उपस्थित होने का हक रखता है;

(viii) किसी अपराधी या संदिग्ध अपराधी की जमानत, उसे छोड़े जाने या निरोध की प्रास्थिति;

(ix) विचारण के पश्चात् किसी अधिमत का दिया जाना; और

(x) किसी अपराधी पर अधिरोपित दंडादेश।

5. आपात चिकित्सा देखरेख – (1) जहां एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट), या स्थानीय पुलिस के किसी अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 के अधीन यह सूचना प्राप्त होती है कि अधिनियम के अधीन का कोई अपराध किया गया है और उसका समाधान हो जाता है कि उस बालक को, जिसके विरूद्ध कोई अपराध किया गया है, तुरंत चिकित्सा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह यथाशक्य शीघ्र किंतु ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अपश्चात् ऐसे बालक को आपात चिकित्सा देखरेख के लिए निकटतम अस्पताल या चिकित्सा देखरेख प्रसुविधा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था करेगा :–

परंतु जहां कोई अपराध अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 या धारा 9 के अधीन किया गया है वहां पीड़ित आपात चिकित्सा देखरेख के लिए ले जाया जाएगा।

(2) आपात चिकित्सा देखरेख, ऐसी रीति में, जिससे बालक की निजता की

सुरक्षा हो सके, और उसके माता–पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति मे जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, की जाएगी।

(3) किसी बालक की आपात चिकित्सा देखरेख करने वाला कोई भी चिकित्सा व्यवसायी, अस्पताल या अन्य चिकित्सा प्रसुविधा केन्द्र ऐसी देखरेख करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में किसी भी विधिक या मजिस्ट्रेट की अध्यपेक्षा या अन्य प्रलेखीकरण की मांग नहीं करेगा।

(4) आपात चिकित्सा देखरेख करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(i) कट (विदारण), नीलों, और अन्य क्षतियों जिसके अंतर्गत जननेन्द्रिय क्षति भी है, का उपचार;

(ii) लैंगिक पारेषित रोग (एसटीडीज) के उच्छन्न जिसके अंतर्गत परिलक्षित एसटीडीज का रोग निरोध भी है, का उपचार ;

(iii) संक्रामक रोग विशेषज्ञ से आवश्यक परामर्श के पश्चात् ह्यूमन इम्यूनोडेफियंसी वायरस (एचआईवी) के उच्छन्न जिसके अंतर्गत एचआईवी का रोग निरोध भी है, का उपचार ;

(iv) यौवनागम बालक और उसके माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति से, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, के साथ संभाव्य गर्भास्तित्व और आपात गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करनी चाहिए; और

(v) जहां आवश्यक हो, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए संदर्भालोकन या परामर्श या अन्य मंत्रणा की जानी चाहिए।

(5) आपात चिकित्सा देखरेख करने के प्रक्रम पर एकत्रित किए गए किसी भी न्याय संबंधी साक्ष्य को अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में एकत्रित किया जाना चाहिए।

6. अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरी – (1) यथास्थिति, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एनसीपीसीआर" कहा गया है) या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एनसीपीसीआर" कहा

गया है), बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन उनको समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा :–

(क) राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों के पदाभिधान को मॉनीटर करना;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति को मॉनीटर करना;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा, बालक की विचारण पूर्व और विचारण के स्तर पर सहायता से सहबद्ध गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायियों और विशेषज्ञों या मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 39 में वर्णित मार्गनिर्देश बनाने को मॉनीटर करना और इन मार्गनिर्देशों को लागू करने को मॉनीटर करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए प्रशिक्षण पुलिस कार्मिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारी भी हैं, के लिए निश्चायिका के डिजाइन और कार्यान्यवन को मॉनीटर करना;

(ड) मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी हैं, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर अधिनियम के उपबंधों से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मॉनीटर करना और उनकी सहायता करना जिससे अधिनियम के उपबंधों के प्रति जनसाधरण, बालकों के साथ ही साथ उनके माता पिता और संरक्षको को जागरूक किया जा सके।

(2) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर किसी सीडब्ल्यूसी की अधिकारिता के भीतर आने वाले बालक का लैंगिक दुरूपयोग के किसी भी विनिर्दिष्ट मामले पर रिर्पोट मांग सकेंगे।

(3) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर स्वप्रेरणा से या सुसंगत अभिकरणों से लैंगिक दुरूपयोग के रिपोर्ट किए गए मामले और अधिनियम के अधीन स्थापित प्रक्रिया के अधीन उनके निपटारे की बाबत सूचना और

आंकड़े एकत्रित कर सकेंगे जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूचना भी हैं :–

(i) अधिनियम के अधीन रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे;

(ii) क्या अधिनियम और नियमों के अधीन विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है जिसके अंतर्गत समयसीमा से संबंधित प्रक्रिया भी है;

(iii) अधिनियम के अधीन अपराधों के पीड़ितों की देखरेख और संरक्षण के लिए व्यवस्था के ब्यौरे जिसके अंतर्गत आपात चिकित्सा देखरेख और चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था भी है; और

(iv) संबंधित सीडब्ल्यूसी द्वारा किसी भी विनिर्दिष्ट मामले में किसी बालक की देखरेख और संरक्षण के लिए आवश्यकता के निर्धारण की बाबत ब्यौरे।

(4) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर इस प्रकार एकत्रित सूचना का प्रयोग अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन को निर्धारित करने के लिए कर सकेगी। अधिनियम की मॉनीटरी पर रिपोर्ट को एनसीपीसीआर या एससरपीसीआर की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय में सम्मिलित किया जाएगा।

7. प्रतिकर – (1) विशेष न्यायालय, समुचित मामलों में स्वप्रेरणा से या बालक द्वारा या उसकी और से फाइल किए गए आवेदन पर प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् किसी भी स्तर पर बालक के अनुतोष या पुनर्वास की तुरंत आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंतरिम प्रतिकर का आदेश पारित कर सकेगा। बालक को संदत्त ऐसे अंतरिम प्रतिकर को, यदि कोई हों, के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा।

(2) विशेष न्यायालय, स्वप्रेरणा से या पीड़ित द्वारा या उसकी ओर से फाइल किए गए किसी आवेदन पर जहां अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है या जहां मामले का परिणाम दोषमुक्ति या उन्मोचन है या अभियुक्त का पता नहीं लगा है या पहचान नहीं की गई है और विशेष न्यायालय की राय मे बालक ने उक्त अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति उठाई है तो प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की सिफारिश कर सकेगा।

(3) जहां विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के साथ पठित अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन पीड़ित को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने का निदेश देता है तो पीड़ित को हुई हानि या क्षति से संबंधित सभी सुसंगत कारणों पर विचार करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :–

(i) दुरूपयोग का प्रकार, अपराध की संगीनता और बालक द्वारा उठाई गई मानसिक और शारीरिक अपहानि और क्षति की गंभीरता;

(ii) शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए उस पर उपगत या उपगत किए जाने के लिए संभाव्य व्यय;

(iii) अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसरों की हानि जिसके अंतर्गत मानसिक आघात, शारीरिक क्षति, चिकित्सा उपचार, अपराध के अन्वेषण और विचारण के कारण या किसी अन्य कारण से विद्यालय से अनुपस्थिति भी है;

(iv) अपराध के परिणामस्वरूप नियोजन की हानि जिसके अंतर्गत मानसिक आघात, शारीरिक क्षति, चिकित्सा उपचार, अपराध के अन्वेषण और विचारण के कारण या किसी अन्य कारण से नियोजन के स्थान से अनुपस्थिति भी है;

(v) अपराधी के साथ बालक का संबंध, यदि कोई हो;

(vi) क्या ऐसा दुरूपयोग एक अकेली घटना थी या ऐसा दुरूपयोग अलग–अलग समय पर बार–बार पर होता रहा;

(vii) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप गर्भवती हो गई है;

(viii) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप किसी लैंगिक पारेषित रोग (एसटीडी) से संसर्ग–प्राप्त हो गया है;

(ix) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप ह्यूमन इम्यूनाडेफियंसी वायरस (एचआईवी) से संसर्ग–प्राप्त हो गया है;

(x) अपराध के परिणामस्वरूप बालक द्वारा वहन की गई कोई भी निःशक्तता;

(xi) उस बालक की वित्तीय स्थिति जिसके विरूद्ध अपराध किया गया है जिससे उसके पुनर्वास की आवश्यकता को अवधारित किया जा सके;

(xii) कोई अन्य कारण जो विशेष न्यायालय सुसंगत समझे।

(4) विशेष न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर राज्य सरकार द्वारा पीड़ित के लिए प्रतिकर निधि या उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पीड़ित के प्रतिकर और पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए स्थापित कोई अन्य स्कीम या निधि से किया जाना है या जहां ऐसी निधि या स्कीम नहीं है वहां राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

(5) राज्य सरकार विशेष न्यायालय द्वारा आदेशित प्रतिकर का संदाय ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर करेगी।

(6) इन नियमों की कोई बात बालक या उसके माता पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किन्हीं अन्य नियमों और स्कीम के अधीन अनुतोष मांगने के लिए आवेदन देने से नहीं रोकेगी।

अनुबंध 3

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 और पोक्सो अधिनियम 2012 के बीच संबंध और तालमेल

1. पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चा "देखभाल व संरक्षण" की आवश्यकता की श्रेणी वाला बच्चा भी हो सकता है।

i. बाल कल्याण समिति उन यौन पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के लिए कदम उठाएगी जिनको विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस ने पोक्सो कानून के तहत रिपोर्ट में "देखभाल और सुरक्षा" के लिए जरूरतमंद माना है। (धारा 30 (13) जे.जे. एक्ट 2015)

ii. इन तीन परिस्थितियों में विशेष किशोर पुलिस यूनिट व स्थानीय पुलिस को 24 घंटे के अंदर समिति को बाल यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में सूचित करना होगा, साथ में यह भी संकेत करना होगा कि पीड़ित बच्चे को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है या नहीं। (धारा 19 (6) पोक्सो एक्ट)

   a. जहां उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति और बच्चा एक ही घर में हैं

   b. जहां माता–पिता बच्चे के साथ नहीं हैं

   c. बच्चा बेघर है (पोक्सो नियम 4(3))

iii. बाल कल्याण समिति को बच्चे से मिलकर तीन दिन के अंदर तय करना होगा कि बच्चे को उसके घर व माता–पिता की हिरासत से निकाल कर बाल सुरक्षा गृह भेजने की जरूरत है या नही। यह तय करने के लिए समिति किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता भी ले सकती है। (पोक्सो नियम 4(4))

iv. समिति बच्चे के सर्वोत्तम हित और बच्चे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी फैसले लेगी। फैसला लेने के लिए पोक्सो के नियमों में 7 आधार तय किए गए हैं। फैसले पर विचार के दौरान बच्चे के साथ स्नेहपूर्ण तरीके से

बातचीत की जाएगी ताकि उसे कोई असुविधा महसूस ना हो और ना ही किसी तरह की ठेस पहुँचे। (पोक्सो नियम 4(5))

2. बाल कल्याण समिति यौन उत्पीड़ित बच्चे के लिए सहायक व्यक्ति मुहैया करवाएगी

i. स्थानीय या विशेष किशोर पुलिस यूनिट की रिपोर्ट के आधार पर समिति बच्चे व उसके परिवार को कानूनी प्रक्रिया में मदद देने के लिए सहायक व्यक्ति प्रदान कर सकती है। (पोक्सो नियम 4(7))

ii. विशेष किशोर पुलिस यूनिट व स्थानीय पुलिस को सहायक व्यक्ति के नियुक्त होने की खबर 24 घंटे के अंदर विशेष कोर्ट को भेजनी होगी। (धारा 19(6) पोक्सो एक्ट)

iii. सहायक व्यक्ति को बच्चे की गोपनीयता बनाए रखनी होगी और उसके परिवार को समय अनुसार केस से जुड़ी जानकारी व सहायता देनी होगी। (पोक्सो नियम 4(8))

iv. बच्चे व उसके परिवार के अनुरोध पर समिति सहायक व्यक्ति को हटा सकती है। (पोक्सो नियम 4(10))

3. किशोर न्याय बोर्ड को पोक्सो में दी गई बाल अनुकूल प्रक्रिया का पालन करना होगा।

यदि किसी बच्चे से पोक्सो एक्ट के तहत अपराध होता है, तो उस पर किशोर न्याय कानून लागू होगा। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाही बंद कमरे में होगी, जहाँ केवल पीड़ित बच्चा, उसके माता–पिता, सहायक व्यक्ति, गवाह, दोनों पक्षों के वकील और वह व्यक्ति जिस पर अपराध का इल्जाम है मौजूद होंगे। (इसे इन–केमरा ट्रायल कहा जाता है)

इस बात का ध्यान रखना होगा कि जाँच के दौरान, कानून के साथ संघर्ष वाला बच्चा यानि कि वह बच्चा जिस पर अपराध का इल्जाम है और पीड़ित बच्चा एक–दूसरे के आमने–सामने ना आएँ।

पीड़ित बच्चे की सुरक्षा के लिए पोक्सो एक्ट में दी गई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। (धारा 34(1) पोक्सो एक्ट)

4. किशोर न्याय से जुड़े पदाधिकारियों की पोक्सो या बाल यौन शोषण के केस में भूमिकाः

i. विशेष किशोर पुलिस यूनिट व स्थानीय पुलिस किसी अपराध के होने या होने की आशंका से जुड़ी सूचना मिलने पर जरूरी कार्यवाही करेंगे। जैसेः शिकायत लिखना, जरूरत हो तो मेडिकल जाँच या तत्काल मेडिकल सहायता दिलवाना, यह तय करना कि बच्चे को देखभाल व संरक्षण की जरूरत है या नहीं तथा मजिस्ट्रेट द्वारा बयान रिकॉर्ड करवाना आदि। इसके अलावा पीड़ित बच्चे और सूचना देने वाले को आवश्यक जानकारियाँ देना भी इनकी जिम्मेदारी है।

ii. जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) अपने जिले में दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों के नाम, पते और अन्य संपर्क ब्यौरों का विवरण रखेगी। यह विवरण विशेष किशोर पुलिस यूनिट, स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट और विशेष अदालत के लिए जरूरत अनुसार उपलब्ध रहेगा। (पोक्सो नियम 3(1))

5. आयु निर्धारण

अगर कार्यवाही के दौरान बच्चे की आयु का सवाल उठता है तो विशेष अदालत बच्चे की आयु निर्धारित करेगी। अदालत आयु का निर्धारण करने के लिए किशोर न्याय कानून की प्रक्रिया अपनाएगी और कारण सहित अपना नतीजा लिखित रूप से देगी। (धारा 34(12) पोक्सो एक्ट व धारा 94 जे जे एक्ट)

6. कानूनी प्रतिनिधित्व

पोक्सो कानून के अनुसार पीड़ित बच्चे को मुकदमे के दौरान कानूनी सलाहकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। (धारा 40 पोक्सो एक्ट)

नोट – कानून बनने के बाद उसकी क्रियान्विति के लिए नियम बनाए जाते हैं। कानून को समझने के लिए धारा व नियम दोनों को देखना जरूरी है। इसलिए इस अध्याय में पोक्सो कानून और पोक्सो नियम दोनो को लिखा गया है।

नोटस्:

नोटस्:

Partners for Law in Development
www.pldindia.org

ISBN 978-93-84599-06-5